सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

23 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — सोमवार, तिथि 23 फरवरी, 2026 ई0
द्वितीय सत्र — 04 फाल्गुन, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0–''क''–43, श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या–63, कटिहार)

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं । उत्तर अप्राप्त है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो दिया जा चुका है, कैसे नहीं प्राप्त हुआ है ।

महोदय, अस्वीकारात्मक ।

राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को सफल बनाने एवं विद्यार्थियों को सुगमतापूर्वक तथा ससमय शिक्षा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 13.02.2018 को वित्त विभाग, बिहार के अधीन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड का गठन किया गया है।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को शिक्षा ऋण राशि के भुगतान के पूर्व शिक्षा विभाग के स्तर पर चयनित जाँच एजेन्सी (TPVA- Third Party Verification Agency) द्वारा अभ्यर्थियों के संस्थान एवं कोर्स के वृहत/भौतिक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत आवेदनों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के पास भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल–1,27,870 छात्र/छात्राओं को ₹1,424.03 करोड़ की राशि का शिक्षा ऋण का भुगतान किया गया है, जिसमें से दिनांक–27.01.2026 तक निगम के स्तर पर भुगतान हेतु लंबित कुल–42,355 छात्र/छात्राओं को ₹421.92 करोड़ की राशि ऑनलाइन माध्यम से छात्र/छात्राओं एवं उनके शिक्षण संस्थानों के बैंक खातों में अंतरित किया गया है। माह जनवरी में निगम द्वारा किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत् हैः–

भुगतान की तिथि	लाभार्थियों की सं०	कुल राशि (करोड़ में)
15.01.2026	38034	378.04
28.01.2026	4321	43.88

वित्त विभाग द्वारा माह जनवरी, 2026 में ₹500.00 करोड़ एवं माह फरवरी, 2026 में ₹300.00 करोड़ की राशि बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु आवंटित की गयी है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह योजना सरकार का एक शैक्षणिक क्षेत्र में उत्साहवर्द्धक एवं क्रांतिकारी कदम है । मैं सरकार से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि बिहार के जो छात्र अलग–अलग शैक्षणिक संस्थानों में पठन–पाठन करते हैं, उनके खाते में ससमय डी0बी0टी0 के द्वारा स्थानांतरित हो, यह सरकार सुनिश्चित करने का इरादा रखती है कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने विस्तृत रूप से बताया कि निगम गठित किया गया है और कंटीन्यूयेस यह प्रोसेस जांच के बाद चलती रहती है ।

अध्यक्ष : श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–63, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या–16, कल्याणपुर)</u>

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं । जवाब अप्राप्त है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग ।

श्री संजय कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023–2028) अंतर्गत वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के लिए 68.916 करोड़ (अड़सठ करोड़ इक्यानवे लाख साठ हजार) रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 2024–25 में विभाग को योजना मद में प्राप्त कुल 120.88 करोड़ रू0 में से मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम हेतु निर्धारित कुल बजट उपबंध 26.60 करोड़ रुपये को योजना कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत किया गया है। आप दूसरा पूछ लीजिए।

(लिखित उत्तर)

अध्यक्ष महोदय, (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023–2028) अंतर्गत वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के लिए 68.916 करोड़ (अड़सठ करोड़ इक्यानवे लाख साठ हजार) रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

वर्ष 2024–25 में विभाग को योजना मद में प्राप्त कुल 120.88 करोड़ रू0 में से मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम हेतु निर्धारित कुल बजट उपबंध 26. 60 करोड़ रुपये को योजना कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत किया गया ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजना मद में उपबंधित कुल 120.88 करोड़ रू0 में से 75.78 करोड़ रू0 व्यय किया गया, जो कि कुल बजट का 62.69 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत स्वीकृत कुल 26.60 करोड़ रू0 के विरूद्ध 17.77 करोड रू0 व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024–25 से विभागीय योजनाओं में पारदर्शिता हेतु केन केयर पोर्टल का शुभारंभ किया गया एवं प्राप्त ऑनलाईन आवेदन अनुसार योजनाओं का निष्पादन किया जाता रहा है।

(3) उपर्युक्त खंडो में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रावधान किया गया गन्ना को बढ़ाने के लिए, गन्ना की खेती को बढ़ाने के लिए, हमलोग गन्ना क्षेत्र से आते हैं, सरकार ने उसमें बीज वितरण के लिए बायो फर्टीलाइजर के लिए, ट्रेनिंग के लिए आधार बीज के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यह प्रोविजन किया तो इन क्षेत्रों में विभाग के द्वारा कितना प्रतिशत कार्रवाई किया गया और फिर सरकार ने यह घोषणा कर दिया कि हम चीनी मिल लगायेंगे, तो सरकार चीनी मिल लगायेगी और गन्ना का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, हमलोग गन्ना क्षेत्र से आते हैं, हमारा पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज ये सब जो इलाका है, गन्ना क्षेत्र का इलाका है तो जब गन्ना की खेती नहीं बढ़ेगी तो चीनी मिल कैसे चलेगा, मंत्री जी जरा बताना चाहेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024–25 में गन्ना उद्योग विभाग के योजना मद में कुल 120.88 करोड़ रुपये मात्र बजट उपलब्ध कराया गया था जिसमें गन्ना विकास कार्यक्रम हेतु 26.60 करोड़ रुपये उपलब्ध किया गया था, जिसके विरूद्ध 17.77 करोड़ रुपये व्यय हुआ है, 86.68 प्रतिशत है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटी गठित हुई है,

जिसमें लक्ष्य प्राप्त है कि हमलोग बंद पड़े चीनी मिल को चालू करेंगे और गन्ना विकास के लिए हमलोग बीजों का वितरण कर रहे हैं, जो लगभग 17.77 करोड़ रुपये व्यय किया गया है उसमें, उसको जल्द हमलोग निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे ।

अध्यक्ष : श्री तारकिशोर प्रसाद ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और पूरक है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लगातार जो गन्ना की खेती घटती जा रही है, तो अभी जो चालू वित्तीय वर्ष आ रहा है इसमें माननीय मंत्री महोदय ने क्या प्रोग्राम बनाया है कि गन्ना की खेती हम कैसे बढ़ायेंगे और हम चीनी मिल लगाकर कैसे गन्ना उसमें आपूर्ति करायेंगे ?

श्री संजय कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि लगातार हमलोग जल संसाधन विभाग के माध्यम से जो जल की समस्या आ रही है खेतों में, हमलोगों ने जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा है, माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिखकर उसका जल–जमाव की समस्या को हटाने के लिए हमलोगों ने लगातार लिखा है, पत्र का स्वीकृति भी आया है, 66 हजार एकड़ जमीन का हमलोगों ने अभी तक प्राप्त किया है, लगभग हो ही जाएगा और बीज वितरण में भी लगातार हमलोग वृद्धि कर रहे हैं और सेमिनार के माध्यम से हमलोग किसानों के बीच जा रहे हैं और उसका सारा चीज हमलोग उपलब्ध करा रहे हैं, जल्दी ही कर लेंगे हमलोग ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, पूर्वी चंपारण जिले की सभी चीनी मिलें बंद हैं, गोपालगंज की तरफ हमलोगों का गन्ना जाता है, उधर रीगा की तरफ जाता है और जो स्थानीय समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसके चलते किसान...

अध्यक्ष : आप सुझाव दे दीजिए ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : उधर गन्ना नहीं ले जाना चाहते हैं...

अध्यक्ष : सरकार को सुझाव दे दीजिए ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : नहीं, महोदय, सरकार को सुझाव नहीं देना है, आग्रह कर रहे हैं सर...

अध्यक्ष : आग्रह ही कर दीजिए ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि जो अस्थिरता की स्थिति है, हमारे पूर्वी चंपारण जिले का चकिया और मोतिहारी चीनी मिल बंद है तो आगे जो चीनी मिल में गन्ना भेजते हैं और वहां जो अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कुछ प्रशासनिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है...

अध्यक्ष : श्री तारकिशोर प्रसाद ।

श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह : बिजली की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसमें क्या कहना चाहते हैं?

अल्पसूचित प्रश्न सं0–64, श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या–63, कटिहार)

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अप्राप्त है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–8778 दिनांक–19.09.2016 के प्रावधानों के आलोक में राज्यान्तर्गत मंदिरों की चहारदीवारी निर्माण हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में निबंधित होना एक आवश्यक शर्त है।

उक्त शर्त को शिथिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष : श्री कुमार सर्वजीत ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक है ।

अध्यक्ष : आप एक मिनट बैठ जाइए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक बेहतर कदम उठाया है कि जो निबंधित राज्य के मंदिर हैं तो उनकी चहारदीवारी का निर्माण लगातार किया जा रहा है और महोदय, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में भी योजना की राशि से भी मंदिरों की चहारदीवारी का निर्माण कराया जा सकता है, बशर्ते कि वह धार्मिक न्यास परिषद से पंजीकृत हो तो महोदय, हम सरकार से सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि अगर गृह विभाग के द्वारा जो चहारदीवारी का निर्माण पंजीकृत मंदिरों का किया जाता है तो क्या सरकार कुछ शर्तों के साथ और निबंधित ऐसे तमाम मंदिरों की चहारदीवारी माननीय विधायकों की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से कराने का इरादा रखती है और क्योंकि महोदय, यह एक संवेदनशील विषय भी है क्योंकि चहारदीवारी के अभाव में...

अध्यक्ष : विषय आ गया ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : कई ऐसे मंदिर हैं, जिसका जो परिसर है, कैंपस है...

अध्यक्ष : आपका विषय तारकिशोर जी आ गया ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, वह अतिक्रमित भी हो रहा है और उसकी पवित्रता भी समय–समय पर कई कारणों से भंग भी हो जाती है, सरकार इसपर संवेदनशीलता से विचार करने का इरादा रखती है ?

अध्यक्ष : सुनील जी, सुझाव है, दे दीजिए ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार का इसपर जवाब आना चाहिए, यह गंभीर विषय है । सरकार ने जहां 10 हजार से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की है, चाहे वह चिन्हित हो या अचिन्हित हो और जब मंदिर की घेराबंदी आयी तो एक शर्त लगा

दिया कि जब तक न्यास बोर्ड में पंजीकृत नहीं हो, तब तक यह घेराबंदी नहीं हो सकता । अध्यक्ष महोदय, अभी तो आलम यह है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग धड़ल्ले से सरकारी भूमि, गैरमजरूआ भूमि को कब्रिस्तान...

अध्यक्ष : आप अपना आग्रह कर लीजिए ।

डॉ0 सुनील कुमार : कहकर घेराबंदी कर रहे हैं । एक एग्जाम्पल दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहारशरीफ में गगनदीवान में कब्रिस्तान घेराबंदी के नाम पर 83 डिसमिल भूमि सरकारी घेर लिया गया इवन बिजली विभाग का ट्रांसफर्मर भी घेर लिया गया, रांची रोड अवरूद्ध हो गया है, अब जाने का कोई रास्ता नहीं है, सरकार स्पष्टता से जवाब दे...

अध्यक्ष : सरकार ने ग्रहण कर लिया है ।

टर्न–2 / यानपति / 23.02.2026

श्री सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार स्पष्टता से जवाब दे कि बहुसंख्यक समाज के मंदिरों की घेराबंदी करने में क्या दिक्कत है जो उसमें एक लगा दिया गया ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । एक मिनट शांति ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो अभी न्यास पर्षद् में निबंधित है उसकी संख्या बहुत है इसमें कहीं दो मत नहीं है । उसके लिए ही हमने पिछले दिनों ही, याद होगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कब्रिस्तान, उसमें ही हमने कहा था कि मंदिर की घेराबंदी, कब्रिस्तान की घेराबंदी इसकी एक बैठक 2016 के बाद नहीं हो पाई है, इसकी बैठक करायेंगे । जो संवेदनशील होगा उसको तुरंत कार्रवाई करके करने का काम करेंगे ।

श्री सुनील कुमार : महोदय...

अध्यक्ष : प्लीज बैठिए । सुनील जी, आपने बातों को रख लिया है । आपने विषय को रख दिया, माननीय मंत्री जी के सामने ।

श्री सुनील कुमार : मेरा स्पष्ट है कि मंदिरों की घेराबंदी होगी या नहीं ? दूसरा अभी सामने में राजस्व मंत्री जी बैठे हुए हैं मैंने आपके चैंबर में ही उनको कहा है कि गगन दीवान में जो कब्रिस्तान की घेराबंदी है...

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइये । बात आ गई है, सरकार ने ग्रहण कर लिया है ।

श्री सुनील कुमार : उसकी नापी कराकर 83 डिस्मिल भूमि सरकार का उससे अलग किया जाय और रांची रोड जो अवरुद्ध किया गया है उसको क्लीयर किया जाय ।

अध्यक्ष : सरकार ने ग्रहण कर लिया है । बैठ जाइये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सवाल तो बहुत अच्छा था लेकिन उसमें कब्रिस्तान का कहीं मामला नहीं आता है और ये केवल एक धर्म के लोगों को प्रताड़ित करने की बात की जाती है, ये प्रोसीडिंग से निकाला जाय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय सदस्य, श्री कुमार सर्वजीत ।

श्री भाई वीरेन्द्र : ये प्रोसीडिंग से निकाला जाय । मंदिर की घेराबंदी हो, मैं उसका पक्षधर हूं लेकिन कब्रिस्तान की चर्चा करना उचित नहीं है ।

अध्यक्ष : आप अपनी बातों को रख लिए, अब प्लीज बैठ जाइये ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–65, श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र सं0–229, बोधगया)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि गृह (विशेष) विभाग के अधिसूचना सं0–3106 दिनांक–10.12.2002 के कंडिका– (iii) में अंकित समयपूर्व रिहाई के लिए वर्णित अर्हत्ता के आलोक में परिहार सहित 20 वर्ष पूर्ण किए हुए सजावार बंदियों को राज्य दण्डादेश परिहार पर्षद के अनुशंसा के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के उपरांत कारा द्वारा मुक्त किये जाने का प्रावधान है। असमय कारामुक्ति के प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषण हेतु बंदी के आचरण एवं व्यवहार से संबंधित काराधीक्षक की अनुशंसा के साथ ही साथ संबंधित पुलिस अधीक्षक, प्रोबेशन पदाधिकारी एवं संबंधित माननीय न्यायालय की भी अनुशंसा की आवश्यकता होती है।

2. अस्वीकारात्मक। दिनांक–29.01.2025 को राज्य दण्डादेश परिहार पर्षद की अनुशंसा पर आजीवन सजावार बंदी राजेन्द्र प्रसाद यादव पे0–बुद्धु यादव के असमय कारामुक्ति के प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत किया गया है।

विदित हो कि अर्हता पूर्ण ऐसे कैदियों के समय पूर्व रिहाई पर विचारण हेतु विगत् वर्ष 2025 से अबतक दिनांक–29.01.2025, 24.03.2025, 17.07.2025, 13.11.2025, 15.12.2025 एवं 27.01.2026 को राज्य दण्डादेश परिहार पर्षद की बैठकें आयोजित की गई, जिसमें कुल–113 आजीवन सजावार बंदियों के असमय कारामुक्ति की अनुशंसा की गई है।

3. उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट की गई है।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय मंत्री जी से सिर्फ मानवता के आधार पर कहा है विचार करने के लिए, चूंकि न्यायालय ने भी ऐसा आदेश पारित किया है कि सरकार विचार चाहे तो कर सकती है और चूंकि वो बीमार हैं, लंबी उम्र है, जो कैदी हैं तो 80 प्रतिशत गया मेडिकल ने प्रूव किया है कि 80 प्रतिशत

इस कैदी का हार्ट ब्लॉकेज है । तो हम सिर्फ मानवता के आधार पर माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कई बार विचार किये गये हैं, कई बार बैठकें हुई हैं, बिहार की सरकार, जेल विभाग के द्वारा आगे भी इस तरह का पत्र अगर उनके द्वारा आयेगा तो विचार करेगा, उसके बाद निष्पादित किया जायेगा ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–66, श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र सं0–75, सहरसा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : (1) स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में राज्य में 04 फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं राजगीर में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त :–

1. राज्य सरकार द्वारा सभी क्षेत्रीय पुलिस मुख्यालय में विधि विज्ञान प्रयोशाला की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2. पूर्णियाँ, बेतिया, गयाजी, सारण, सहरसा एवं मुंगेर में भवन का निर्माण एवं हस्तांतरण हो चुका है। दरभंगा एवं रोहतास में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का भवन निर्माणाधीन है।
3. राज्य में कार्यरत 04 विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला को उन्नत करने तथा 06 अन्य क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को क्रियाशील बनाने के लिए उपकरणों के क्रय हेतु प्रस्ताव गृह मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित किया गया है।
4. विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना और क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजगीर में साईबर फॉरेंसिक इकाई की स्थापना हेतु राष्ट्रीय न्यायियक विज्ञान विष्वविद्यालय, गाँधीनगर, गुजरात का चयन परामर्षी के रूप में किया गया है, जिसके सहयोग से उपकरणों का क्रय प्रक्रियाधीन है।
5. 28 जिलों में चलंत विधि विज्ञान इकाई स्वीकृत है, जिसमें से 16 जिलों में भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 12 जिलों में भवन निर्माणधीन है।
6. वर्त्तमान में साक्ष्यों के संग्रहण एवं घटनास्थल भ्रमण हेतु सभी जिलों एवं विधि विज्ञान प्रयोशालाओं में 51 मोबाईल फॉरेंसिक वैन कार्यरत है।

(3) उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार से यह पूछा था कि प्रत्येक जिले में...

अध्यक्ष : उत्तर मिल गया है ?

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : उत्तर मिला है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, पहली बार एक बढ़िया उत्तर मिला है, बोलने दिया जाय। पहली बार ऐसा है कि एक भी, पूरक पूछने में माहिर आदमी पूरक पूछ ही नहीं पा रहा है इसमें । इतना बढ़िया उत्तर मिला है । मैं जब सूखे नशे पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट का जिक्र उसमें आया, और मैंने देखा कि एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट सिर्फ ये जो चार ही फॉरेन्सिक लैब था उसके ओवर बर्डन की वजह से नहीं हो रहा था लेकिन सरकार ने बेहतरीन काम किया है इसमें । इतना बढ़िया जवाब है, हरेक जिले में हर चीज कर रहे हैं फॉरेन्सिक लैब के लिए । धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को । सिर्फ एक आग्रह है कि जल्दी से जल्दी चीजें हो जायं बस यही है । बेहतरीन काम कर रही है फॉरेन्सिक लैब के लिए ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–67, श्री साम्रीद वर्मा (क्षेत्र सं0–09, सिकटा)

(लिखित उत्तर)

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. इस संबंध में कोई आधिकारिक रिपोर्ट विभाग को प्राप्त नहीं है ।

2. इस संबंध में कोई आधिकारिक रिपोर्ट विभाग को प्राप्त नहीं है ।

3. उपरोक्त बिंदुओं पर आई0टी0 ऐक्ट 2000 (यथा संशोधित) तथा उससे संबंधित संशोधित नियम पूर्व से ही भारत सरकार द्वारा अधिसूचित है, जिसमें राज्य सरकार की भूमिका कार्यान्वयन एवं अनुपालन की है ।

इस संबंध में विभिन्न संस्थाओं यथा– WHO (World Health Organization), NIMHANS(National Institute of Mental Health and Neuro Sciences), Indian Academy of Paediatrics के द्वारा भी बच्चों व अभिभावकों के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं ।

इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा लागू प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं :–

. Information Technology Act, 2000

. IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021

. Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 एवं उससे संबंधित संशोधित नियम ।

Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 के अंतर्गत :–

. केवल Self-Regulatory Body (SRB) द्वारा सत्यापित Online Games को अनुमति,

. अवैध सट्टेबाजी एवं जुए (betting/gamling) से संबंधित Online Money Games पर प्रतिबंध,

. Platforms के लिए अनिवार्य KYC

. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को लक्षित करने वाले विज्ञापनों पर रोक ।

. बच्चों के लिए हानिकारक अथवा अवैध content एवं platforms के विरुद्ध नियामक कार्रवाई, जैसे स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं ।

बच्चों के Screen Time एवं Online Gaming को नियंत्रित करने का विषय, बहुविभागीय (Multi-Sectoral) प्रकृति का है, जिसमें अभिभावक, विद्यालय, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, समाज एवं सरकार सभी की भूमिका आवश्यक है।

इस संबंध में विभाग द्वारा संबंधित विभागों से अनुरोध किया जा रहा है । साथ ही विभागीय पत्रांक–318 दिनांक–21.02.2026 के द्वारा Director, National Instutute of Mental Health and Neuro sciences (NIMHANS), Bengaluru से बच्चों एवं किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर स्क्रीन टाईम एवं ऑनलाईन गेमिंग के प्रभाव से संबंधित परामर्श उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है ।

श्री साम्रीद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है और थोड़ा सा स्वीकारात्मक भी है लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा ।

अध्यक्ष : ऐड कर लीजिए ।

श्री साम्रीद वर्मा : हमारा रिक्वेस्ट है, मैडम मिनिस्टर ने नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज से शॉर्ट किया है मिनिस्ट्री ने इसका एक डेफिनेटिव ऐक्शन प्लान । उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद । लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ आई0टी0 मिनिस्ट्री ही नहीं इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को भी मिलकर, हम जैसे गांव–गांव घूमते हैं, देखते हैं आजकल बच्चे पूरी मोबाइल फोन्स पर घंटों यूट्यूब और जो भी सोशल मीडिया है वो स्क्रोलिंग जो अनगिनत, अनएंडिंग स्क्रोलिंग है वो देख रहे हैं।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री साम्रीद वर्मा : हमारा यही रिक्वेस्ट है कि ये लोग मिलकर अगर सिर्फ बिहार स्टेट के लिए प्लान बनायें जिसमें हमें आई0टी0 लिटरेसी तो है हर जगह कि डेटा कंजम्प्शन हो रहा है लेकिन लोगों को लिटरेसी नहीं है कि कैसे इसको देखा जाय । बच्चों को भी ध्यान दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने सदन को बताया कि ये निश्चित रूप से विषय जो है गंभीर भी है, भारत सरकार में अनेकों नियम भी इसके ऊपर निकाले हैं । जहां तक बिहार राज्य सरकार की बात है और जिस तरह से माननीय ने सुझाव दिया है इस उत्तर में स्पष्ट लिखा है कि बच्चों की स्क्रीन टाइम एवं ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने का विषय बहुविभागीय है यानी कि मल्टी सेक्टरर है । इसमें अभिभावक के साथ–साथ विद्यालय, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, समाज और सरकार सभी मिलकर काम करेंगे और जैसा हमने अपने उत्तर में बताया जो नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेज हैं निश्चित रूप से वहां से जब रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी तो सभी विभागों को बैठकर एक नया मानक तैयार करने का काम करेंगे ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, पॉलिसी बनाना है आई0टी0 डिपार्टमेंट और कई डिपार्टमेंट के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा, इसमें पूरी तरह एक नई पॉलिसी बनाकर हमलोग लायेंगे और उसके बाद जनता को समर्पित करेंगे ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–68, श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र सं0–100, बरौली)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रथम छमाही में वार्षिक साख योजना (एसीपी) के तहत कृषि क्षेत्र के लिये निर्धारित लक्ष्य 1,12,000 करोड़ की तुलना में मात्र 31,125 करोड़ रूपये किसानों को ऋण वितरित किये गये है।

कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ऋण प्रवाह के लिए राज्य के सभी बैंक प्रयासरत है। विगत वर्ष के समान अवधि (सितम्बर 24 छमाही) में रूपये 26,578 करोड़ की तुलना में वर्त्तमान वर्ष के समान अवधि (सितम्बर 25) तक रू0 31,126 करोड़ वितरित किया गया। इस वर्ष 4,548 करोड़ अधिक वितरित किए गए है।

सरकार कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करने वाले बैंकों के प्रति कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य में कार्यरत बैंकों का प्रत्येक वर्ष मार्च तक के कार्य निष्पादन के आधार पर 100 अंकों के सापेक्ष मूल्यांकन किया

जाना निश्चित किया गया है। इस मूल्यांकन के पैमाने में कृषि क्षेत्र यथा के0सी0सी0 लोन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन का विशेष ध्यान रखा गया है। 100 अंकों के सापेक्ष न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

विगत SLBC की बैठक के आलोक में माननीय मंत्री, वित्त विभाग के द्वारा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है, जिसके सदस्य के रूप में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड एवं भारतीय स्टेट बैंक रहेंगे। उक्त समिति नियमित अंतराल पर बैंकों द्वारा वार्षिक साख योजना के लक्ष्य की प्राप्ति एवं साख जमा अनुपात की समीक्षा करेगी।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह उल्लेख किया है कि 25–26 में जो कृषि क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य था ऋण देने के लिए महोदय, एक लाख 12 हजार करोड़ के विरुद्ध अब तक बैकों ने किसानों को मात्र 31125 करोड़ ही अबतक ऋण उपलब्ध कराई गई है और अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया है सरकार कृषि के क्षेत्र में उपेक्षा करनेवाले बैंकों के प्रति कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है तो जब सरकार प्रतिबद्ध है तो अब तक क्या कार्रवाई हुई और इसी उत्तर में माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है लक्ष्य की प्राप्ति और साख जमा अनुपातों की सरकार समीक्षा करेगी तो सरकार अब तक क्या समीक्षा की है महोदय । वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है महोदय, और गंभीर बात है । एक लाख 12 हजार करोड़ के एवज में मात्र 31 हजार 125 करोड़ ही किसानों को ऋण मिल पाया है महोदय । इसी संबंध में माननीय मंत्री जी से ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, पिछले दिनों बैंकों के साथ बैठक हुई थी तब कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी उसकी समीक्षा करेगी और जो बैंक नहीं करेंगे उसपर कार्रवाई की भी अपेक्षा है ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–69, श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र सं0–111, गोरेयाकोठी)</u>

श्री देवेशकान्त सिंह : उत्तर प्राप्त नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर तो दिया हुआ है । लेकिन नहीं दिया हुआ है तो महोदय इसमें बात यही है कि ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कानून जो है, अधिनियम जो है ये भारत सरकार ने बनाया है और इसका अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन होता है । हमलोगों ने सिर्फ उसके क्रियान्वयन के लिए यहां पर नियमावली बनाई है और चूंकि जो मूल अधिनियम

है, कानून है उसी में उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान नहीं है इसलिए हमारे नियमावली में भी यह प्रावधान नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री देवेशकान्त सिंह : महोदय, मेरा आग्रह है बिहार सरकार अपने स्तर पर भी इस संबंध में चूंकि आर्थिक रूप से जो भी कमजोर हैं उस पर भी बिहार सरकार अपने स्तर पर विचार करेगी या नहीं करेगी यह मैं जानना चाहता हूं । बिहार सरकार जैसे, अन्य लोगों को है वैसा कुछ कर सकती है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, भारत सरकार का है और उसमें ही प्रावधान नहीं है, हमलोग तो सिर्फ अपने प्रदेश में भी उसको लागू करने के लिए नियमावली हमने बनाई है तो चूंकि मूल अधिनियम में ही वह प्रावधान नहीं है, वैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं तो हमलोग इसकी संभाव्यता पर विचार करेंगे ।

श्री देवेशकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ये विषय इसलिए रख रहा हूं कि जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकारों ने इसपर विचार किया है तो क्या हमारी बिहार सरकार भी इसपर विचार करेगी ।

अध्यक्ष : सरकार विचार करेगी, माननीय मंत्री जी ने कहा है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जैसे कि सरकार को सूचना है अभीतक किसी दूसरे प्रदेश में भी इसपर विचार, अब कौन विचार कर रहे हैं इसकी सूचना तो नहीं है लेकिन कहीं पर भी इसमें छूट अभीतक नहीं दी गई है ।

टर्न–3 / मुकुल / 23.02.2026

<u>अल्पसूंचित प्रश्न सं0–70, श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र सं0–203, रामगढ़)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : खंड–1 उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक–21.02.2022 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परिपत्र संख्या–6026, दिनांक–19.04.2022 निर्गत किया गया था, जिसके द्वारा परिपत्र संख्या–10818, दिनांक–08.08.2016 (गजट अधिसूचना सं0–689, दिनांक–23.08.2016) को निरस्त करते हुए राज्य की लोहार जाति को राज्य के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग को देय आरक्षण सहित अन्य सभी सुविधाएं पूर्व की भांति अनुमान्य कराते हुए इन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–115 पर अंकित प्रविष्टि कमार (लोहार और कर्मकार) को पूर्व की भांति पुनर्स्थापित कर दिया गया है ।

खंड–2 उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड–3 उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–13623, दिनांक–10.09.2015 द्वारा परिचारित अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–115 पर कमार (लोहार और कर्मकार) के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

जहां तक बिहर के खतियानों में लोहार के एक स्वतंत्र जाति होने का प्रश्न है, तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कार्य विशेष के निमित्त भू–धारी विशेष के द्वारा ही खतियान की प्रति प्रस्तुत की जाती है, जिसमें उसकी जाति का उल्लेख अलग–अलग स्वरूप में हो सकता है । फलतः किसी खतियान विशेष के आधार पर बिहार के सभी खतियानों में एक समरूप जाति के अंकित होने का दावा युक्तिसंगत नहीं है ।

उपरोक्त कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर अप्राप्त है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर तो दिया हुआ है, लेकिन मैं पढ़ देता हूं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक–21.02.2022 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परिपत्र संख्या–6026, दिनांक–19.04.2022 निर्गत किया गया था । जिसके द्वारा यह अधिसूचना जो पहले निर्गत थी उसको निरस्त करते हुए लोहर जाति को राज्य के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग को देय आरक्षण सहित अन्य सभी सुविधाएं पूर्व की भांति अनुमान्य करते हुए इन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्गों की सूची में डाला गया है ।

खंड–2 उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड–3 उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–13623, दिनांक–10.09.2015 द्वारा परिचारित अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–115 पर कमार (लोहार और कर्मकार) के रूप में अधिसूचित किया गया है और इसी हिसाब से जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, मेरा सवाल है कि लोहार जो जाति है यह एक स्वतंत्र जाति है और मेरे पास उनका वर्षों का, 1900 से लेकर अब तक का खतियान है, उनका लोहार जाति है जबकि सरकार द्वारा 115 क्रमांक में अनुसूची–1 में लोहार को उप जाति बना दिया गया है कमार की । जबकि कमार अलग जाति

है और लोहार अलग जाति है । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस जाति को, इसकी पहचान मिटाने की जो प्रक्रिया है इसको लोहार जाति को स्वतंत्र जाति के रूप में इसको फिर से अनुसूचित किया जाए । दूसरा महोदय, लोहार जाति के साथ बहुत पहले से भेदभाव हो रहा था, 2006 तक लोहार जाति अनुसूचित जनजाति में थी, फिर इसके बाद 2006 से 2010 तक इसे पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया, फिर 2010 से 2016 तक अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया, फिर 2022 से पुनः इसको अति पिछड़ा में, 2010 से 2016 तक इसको अनुसूचित जनजाति में और 2022 से पुनः अति पिछड़ा वर्ग में । महोदय, तो पहली चीज है कि.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री । माननीय सदस्य, आपने अपनी बातों को रख दिया है ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : लोहार जाति एक स्वतंत्र जाति है, तो लोहार जाति को कमार की उप जाति से हटाया जाए । वर्षों से यह पूरी रिपोर्ट है, इसे मैं माननीय मंत्री जी को भी दे दूंगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दे दीजिए । अब माननीय मंत्री जी का पहले उत्तर सुन लीजिए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : और दूसरी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहले मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए, माननीय मंत्री जी का रिप्लाई हो रहा है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने दो बातें कही, एक तो लोहार जाति की स्थिति के बारे में और दूसरा इसको कमार या कर्मकार से अलग करने की बात की । सबसे पहले माननीय सदस्य को यह निश्चित ज्ञात होगा कि आपके इस प्रश्न को लाने से वर्षों पहले सरकार ने लोहार जाति की आर्थिक स्थिति को देखकर उसका सामाजिक अध्ययन कराकर लोहार जाति को महोदय अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का न सिर्फ फैसला लिया, बल्कि इसे अधिसूचित भी किया, उनको लाभ भी दिया जाने लगा । महोदय, सरकार लोहार जाति के प्रति इतनी संवेदनशीलता से शुरू से काम कर रही है और हमने पढ़ा शायद माननीय सदस्य ने सुना नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी गयी और इसी के कारण जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया था उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, उस श्रेणी से निकालकर इनको फिर अति पिछड़ों की श्रेणी में डालना पड़ा है यह एक बात है । जहां तक इन्होंने कहा उनकी स्थिति के बारे में, उनकी स्थिति तो सरकार, उनकी स्थिति के प्रति तो सरकार इतनी संवेदनशील है, वर्षों पहले से उनको अधिकतम न्याय दिलाने की व्यवस्था सरकार करती रही है । दूसरी बात

महोदय कि लोहार, कर्मकार और कमार महोदय ये एक ही श्रेणी की जातियां हैं, कोई लोहार को लोहार हटाकर कर्मकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, चूंकि अधिसूचना में कमार और कर्मकार और लोहार इन तीनों को एक ब्रैकेट में डाला गया है, इसलिए तीनों लिखकर दिया जाता है, ऐसा नहीं है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि लोहार जाति के आइडेंटिटी को खत्म किया जाता है, लोहार तो प्रमाण पत्र पर लिखा ही जाता है। दूसरा इस संघ के, इनके जाति के संघ के प्रतिनिधियों ने हमसे भी मुलाकात की थी, हमने कहा है कि अगर आपको कहीं भी इस कारण कोई भेदभाव या कोई सरकार की सुविधा मिलने में कोई दिक्कत, परेशानी कमी महसूस होती हो तो आप आइए, बात कीजिए, सरकार आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगी ।

अल्पसूंचित प्रश्न सं0–71, श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र सं0–99, बैकुण्ठपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार, मंत्री : (1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम की श्रृंखला में यह आवश्यक है कि प्रजनक बीज उत्पादन को बढ़ाया जाय। इस हेतु भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा से एम०ओ०यू० किया गया है तथा प्रजनक बीज से आधार एवं प्रमाणित गन्ना बीज का उत्पादन चीनी मिलों/प्रगतिशील कृषकों के माध्यम से कराया जा रहा है । इस प्रकार गन्ना बीज उत्पादन हेतु विभाग द्वारा सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

योजनांतर्गत त्रिस्तरीय गन्ना बीज उत्पादन एवं वितरण हेतु कुल वित्तीय लक्ष्य 18.93 करोड़ रू0 के विरूद्ध 12.75 करोड़ रू0 की उपलब्धि हुई, जो कुल लक्ष्य का 67.35 प्रतिशत है।

वर्ष 2024–25 में आधार बीज उत्पादन हेतु भौतिक लक्ष्य 270 हेक्टेयर के विरूद्ध 223 हेक्टेयर की उपलब्धि तथा प्रमाणित गन्ना बीज वितरण हेतु भौतिक लक्ष्य 6.20 लाख क्वींटल के विरूद्ध 3.91 क्वींटल का वितरण अनुदानित दर पर गन्ना किसानों को किया गया।

उल्लेखनीय है कि राज्य में बोये जाने वाला प्रमुख गन्ना प्रभेद सी.ओ.–0238 है, जिसके लाल सड़न रोग से प्रभावित एवं रोगग्रस्त होने के कारण बीज की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में काफी कमी आयी। इस कारण पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित गन्ना बीज की उपलब्धता नहीं हो सकी जिसके फलस्वरूप लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाया।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

राज्य में गन्ना का उत्पादन बढ़ाने एवं किसानों की आय में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा कई योजनायें यथा– मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम, गन्ना यंत्रिकरण योजना, गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम एवं गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत 500 एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण के लक्ष्य के विरूद्ध 490 प्रशिक्षण कराने के साथ राज्य के बाहर के गन्ना संस्थानों में कृषकों का एक्सपोजर विजिट भी कराया गया है। इसके साथ कम बीज में अधिक रकवा में बुआई हेतु सिंगल बड तकनीक को बढ़ावा देने हेतु 15000 रू0 प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है तथा 480 एकड़ में इस तकनीक से प्रत्यक्षण कराया गया है।

पेराई सत्र 2024–25 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के अनुसार 10 रू0 प्रति क्वींटल की दर से गन्ना कृषकों को मो० 62.89 करोड़ रू0 अतिरिक्त ईख मूल्य का भुगतान किया गया है।

चालू पेराई सत्र 2025–26 अंतर्गत गन्ना के उत्तम प्रभेद का मूल्य गत वर्ष में लागू 365 रू0 प्रति क्वींटल से बढ़ाकर 380 रू0 प्रति क्वींटल एवं सामान्य प्रभेद का मूल्य गत वर्ष में लागू 345 रू0 प्रति क्वींटल से बढ़ाकर 360 रू0 प्रति क्वींटल तथा निम्न प्रभेद का मूल्य गत वर्ष में लागू 310 रू0 प्रति क्वींटल से बढ़ाकर 330 रू0 प्रति क्वींटल की गई है।

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप वर्तमान वर्ष में भी गन्ना कृषकों को 10 रू0 प्रति क्वींटल की दर से अतिरिक्त ईख मूल्य का भुगतान राजकोष से किया जा रहा है।

(3) उपर्युक्त खंडो में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री मिथिलेश तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत डिटेल में जवाब दिया है, जवाब सही दिशा में है, लेकिन यह विषय बार–बार कई माननीय सदस्यों द्वारा पूछा जाता है और यह विषय बहुत ही अध्यक्ष महोदय सीरियस विषय है । 2022 में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक होती है, जल का प्रभाव और जल का अभाव यह दो बड़ा संकट है अध्यक्ष महोदय और इसमें तीन विभाग शामिल है जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और गन्ना विकास विभाग । माननीय अध्यक्ष महोदय, गन्ना विकास विभाग के पास ऑफिसर नहीं हैं, मात्र 6 जिलों में ही उनके गन्ना विकास पदाधिकारी हैं, उनके प्रयास से यह

संभव ही नहीं है कि इसका उत्पादन बढ़ेगा । अध्यक्ष महोदय, उसके लिए कृषि विभाग का सहयोग लेना आवश्यक होगा और जल का प्रभाव और जल का अभाव ये दोनों में तालमेल बनाने के लिए जल संसाधन विभाग और ये दोनों विभाग के साथ अध्यक्ष महोदय बैठक करनी पड़ेगी । मेरा तो प्रस्ताव यह है कि अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में इसी चलते सत्र में इन तीनों विभाग की बैठक करके इसका भी कुछ समाधान निकाल दिया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार हमलोग सेमिनार के माध्यम से भी और मैंने पहले भी कहा है कि माननीय जल संसाधन मंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा है, जल जमाव की समस्या आ रही है जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है और उत्तर भी हमलोगों को मिल भी रहा है, जिलाधिकारी को भी मैंने लिखा है और उत्तर तो प्राप्त है जो सवाल माननीय सदस्य ने किया था, मैंने जवाब भी दिया है कि हमलोग लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, जो इन्होंने कहा कि क्या यह बात सही है कि राज्य में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम चलाया जाता है और त्रि–स्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष–2024–25 का वित्तीय लक्ष्य 2465 लाख निर्धारित थी । हम कहना चाहते हैं कि गन्ना बीज उत्पादन एवं वितरण हेतु कुल वित्तीय वर्ष 18.93 करोड़ रुपये के विरुद्ध 12.75 करोड़ रुपये की उपलब्धि हुई है जो कुल 67.35 प्रतिशत है तो जो भी जल संसाधन विभाग के साथ बैठक कर निर्णय लिया जायेगा उसको हमलोग मानेंगे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, चूंकि माननीय सदस्य तिवारी जी ने जल संसाधन विभाग की भी बात की है । माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह सही है और माननीय सदस्य ने भी जो सुझाव दिया है वह भी बिल्कुल माकुल और उपयुक्त है । इस संबंध में सिर्फ माननीय सदस्य और सदन को हम यह सूचना देना चाहते हैं कि जो मिथिलेश तिवारी जी का सुझाव है उस पर सरकार पहले से ही हमने अमल शुरू कर दिया है और जल संसाधन विभाग, गन्ना विकास विभाग, कृषि विभाग इनके साथ बैठकर खास तौर से चम्पारण के इलाके में दोनों बात है, चूंकि गन्ना की फसल ऐसी होती है कि इसमें पानी ज्यादा लगता है लेकिन उस इलाके में जल–जमाव के कारण कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां गन्ना की खेती नहीं हो पाती है, इसलिए हमलोगों ने एक समेकित योजना बनाने पर विचार शुरू कर दिया है और उनका सुझाव सही है, सरकार उसपर कार्रवाई कर रही है ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0–1873, डॉ0 कुमार पुष्पंजय (क्षेत्र सं0–170, बरबीघा)
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–1874, श्री हरिनारायण सिंह (क्षेत्र सं0–177, हरनौत)

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं, लेकिन हमको उत्तर प्राप्त नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग । माननीय सदस्य, इसका जवाब अगली बार आ जायेगा ।

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, कब जवाब दिया जायेगा, अब तो यह दोबारा आने वाला नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चलते सत्र में करवा देते हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह तो सामान्य प्रशासन विभाग को पहले प्रश्न गया है और जब हमारे पास आ जायेगा तो जवाब दे देंगे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय हरिनारायण बाबू का जो प्रश्न है, यह बात सही है कि ग्रामीण विकास को स्थानांतरित किया गया है लेकिन चूंकि नालंदा का मामला है और मुख्यमंत्री जी ने मुझे नालंदा का प्रभारी भी बना दिया है तो हमने जिलाधिकारी से बात की है । आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, आपकी भी जिलाधिकारी से बात हुई थी, कुछ विभागों में यह जो डिस्क्रीपेंशी है इसको दूर किया गया है और आगे भी सरकार ने जिलाधिकारी को निदेश दिया है कि माननीय सदस्य से सम्पर्क करके इस तरह की डिस्क्रीपेंशी को दूर कर दिया जाए ।

टर्न–04 / सुरज / 23.02.2026

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा सवाल है । चार वर्ष पूर्व ही नालंदा जिला के चण्डी प्रखंड से सरथा ग्राम पंचायत का स्थानांतरण हरनौत में कर दिया गया । यानी चार वर्ष बीत जाने के बाद भी सभी कार्य प्रायः स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, शिक्षा विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं कृषि विभाग । सभी विभागों का कार्य, अभी तक लोगों को चण्डी जाना पड़ रहा है । इस बात के लिये जिला पदाधिकारी से कई बार मैं बात कर चुका हूं लेकिन मेरा इसमें निवेदन है कि सरकार को, शायद कलेक्टर महोदय कहते हैं कि यह मामला चूंकि केन्द्र सरकार से ही होने वाला है इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और शीघ्र अति शीघ्र दो–तीन महीने के अंतर्गत स्थानांतरित कराने की व्यवस्था करे ।

अध्यक्ष : श्री रूहेल रंजन ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय हरिनारायण बाबू जी ने जो कहा है सरकार उस पर मुस्तैदी से कार्रवाई करेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0–1875, श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र सं0–174, इस्लामपुर)

श्री रूहेल रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री रूहेल रंजन : महोदय, साथ ही एक पूरक पूछना चाह रहा था ।

अध्यक्ष : पूछ लीजिये ।

श्री रूहेल रंजन : महोदय, कहना यह चाह रहा था कि...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का अनुमंडल बनाने का प्रश्न है और हमने इस सदन में कई बार कहा है, आगे भी अनुमंडल और जिला बनाने से संबंधित प्रश्न आयेंगे कि इस बारे में अभी सरकार के यहां विचार नहीं चल रहा है। जब नये अनुमंडलों या जिलों के सृजन पर विचार होगा निश्चित रूप से जिलाधिकारी और एस0पी0 से ज्वाइंट रिपोर्ट मंगाकर फिर कमिश्नर और आई0जी0 से भी रिपोर्ट मंगाकर जो कमेटी ऑफ सेक्रेटिज हैं फिर मंत्रियों का समूह इस पर फैसला लेती है । जब इस पर कार्रवाई की जायेगी तो इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री रूहेल रंजन : महोदय, मेरा था कि 1973 में हिलसा सब–डिविजन बनाया गया था उस समय पांच लाख की पॉपुलेशन थी, आज पन्द्रह लाख की पॉपुलेशन है । तो मेरा बस निवेदन है कि इस पर कार्रवाई अगर चालू करी जाए डी0एम0 साहब की थ्रू तो लोगों को बड़ी सुविधा होगी क्योंकि 50 किलोमीटर दूर तक कोर्ट जाना पड़ता है, डी0सी0एल0आर0 और एस0डी0एम0 के पास जाना पड़ता है और भीड़ बहुत रहती है । बस यही रिक्वेस्ट है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैंने तो इनके मामले को खारिज किया नहीं है या यह कहा नहीं है कि अर्हता पूरी ये नहीं करते हैं । हमने तो सिर्फ यह कहा कि अभी इस पर कोई विचार नहीं चल रहा है । विचार जब होगा तो निश्चित सरकार विचार करेगी।

तारांकित प्रश्न सं0–1876, श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र सं0–217, घोसी)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि, जहानाबाद जिला अन्तर्गत घोसी विधानसभा क्षेत्र में भौगोलिक विस्तार तथा जनसंख्या घनत्व के

दृष्टिकोण से पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी पहुँच की कोई समस्या नहीं है। ERSS डायल–112 का पहुँच समय लगभग 08 मिनट है। उक्त थाना से शादिपुर की दूरी करीब 12 किलोमीटर तथा बरामा की दूरी करीब 06 किलोमीटर है। उक्त थाना से संपर्क हेतु आवागमन के लिये पक्की सड़क है और वाहन के सभी साधन है। घोसी अनुमंडल अन्तर्गत शादिपुर एवं बरामा में विगत 05 वर्षों में हत्या के 02 कांड प्रतिवेदित है। अन्य कांडों की स्थिति शून्य है।

अतएव, उक्त विधानसभा क्षेत्र के मई में नवीन पुलिस थाना की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री रितुराज कुमार : महोदय, मेरा एक पूरक है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर अगर थाना की स्थापना न हो पाए क्योंकि बार्डर एरिया है वहीं से आगे मसौढ़ी शुरू हो जाता है तो कई बार अपराधी बरामा से उधर निकल जाते हैं तो बरामा में कम से कम ओ0पी0 का हो जाए । माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय सदस्य के आग्रह पर मैं एक समीक्षा करा लेता हूं । इसके साथ ही एक बैठक करके, समीक्षा करके जो रिपोर्ट आयेगा उस पर कार्रवाई करेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1877, श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र सं0–19, मोतिहारी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री :अध्यक्ष महोदय, (1) स्वीकारात्मक।

सरफेसी अधिनियम–2002 की धारा–14 में प्रावधान है कि गिरवी रखी गई संपत्तियों पर भौतिक कब्जा करने में सहायता मांगने के लिए ऋणदाताओं को जिला दंडाधिकारी के समक्ष एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह शपथ पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि ऋणदाता ने नोटिस भेजने सहित सभी कानूनी प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है।

(2) जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक–380 / विधि, दिनांक–14.02.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सरफेसी आवेदन के साथ शपथ–पत्र संलग्न करना बैंकों के Authorised Officer का दायित्व है। जिला दण्डाधिकारी, जमुई के न्यायालय में लंबित इन वादों में संबंधित बैंक के Authorised Officer से शपथ–पत्र की माँग की गई है।

अध्यक्ष : उत्तर आया है ?

श्री प्रमोद कुमार : जी महोदय, उत्तर आया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, उत्तर में जिलाधिकारी ने बैंक को आदेश दिया है कि आप शपथ पत्र दायर कीजिये । महोदय, यह मामला ऐसा है कि श्वेता सिंह को ऋण एलॉट हुआ 3.25 करोड़ और प्राप्त हुआ 1.05 लाख और बाकी पैसा आर0बी0आई0 के रूल के अनुसार दिया नहीं गया, जिसके कारण उनका फैक्ट्री नहीं लगा और उसका जाली हस्ताक्षर बनाकर बैंकर द्वारा रुपया निकाल लिया गया । महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इसकी फॉरेंसिक लैबोरेट्री से जांच करायी जाए कि जो पहले दस्तखत किया, जो बाद में दस्तखत किया और जिसके कारण उसकी फैक्ट्री बंद हो गयी, एन0पी0ए0 अकाउंट हो गया तो इसके जिम्मेवार अधिकारी के विरूद्ध फॉरेंसिक जांच कराकर उसके विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखते हैं माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह मामला लंबित है, कार्रवाई चल रही है । जो माननीय सदस्य ने कहा है वह भी निर्देशित किये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0–1878, श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र सं0–179, बाढ़)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि खोबी का लाई पटना जिले के बाढ़ क्षेत्र का एक प्रसिद्ध पारम्परिक खाद्य उत्पाद है।

कृषि विभाग अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर द्वारा बाढ़ लाई उत्पाद संघ को सहयोग प्रदान करते हुए पटना जिले के बाढ़ के प्रसिद्ध खोबी की लाई को जी०आई० टैग पंजीकरण हेतु दिनांकः–19.05.2025 को Geographical Indications Registry, Chennai को आवेदन किया गया है। जो Pre-Examination हेतु Geographical Indications Registry, Chennai के पास प्रक्रियाधीन है।

जी० आई० टैग एक प्रकार का बौद्धिक सम्पदा अधिकार (Intllectual Property Right) है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पाद को दिया जाता है। भारत में जी०आई० टैग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के तहत जी० आई० टैग रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है। जी० आई० टैग उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरित व्यापार विभाग (DPIIT) के अंतर्गत Geographical Indications Registry, Chennai के द्वारा भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत प्रदान किया जाता है।

जी० आई० टैग के लिए उत्पादक संघ, सहकारी समितियाँ, एन०जी०ओ०, किसानों/कारीगरों का पंजीकृत समूह द्वारा आवेदन किया जाता है।

Geographical Indications Registry, Chennai द्वारा बिहार के खाद्य, खादी, कला, और हस्तशिल्प को जी०आई० टैग प्राप्त है। जिनमें शाही लीची (मुजफ्फरपुर), कतरनी चावल (भागलपुर/बांका), जर्दालू आम (भागलपुर), मगही पान (मगध क्षेत्र), सिलाव खाजा (नालन्दा), मिथिला मखाना (मिथिला क्षेत्र), मरचा चावल (पश्चिम चम्पारण), मधुबनी पेटिंग (मधुबनी), भागलपुरी सिल्क (भागलपुर) सुजिनी कढ़ाई, सिक्की ग्रास उत्पाद, मंजुषा कला (भागलपुर) को जी०आई० टैग प्राप्त है।

श्री सियाराम सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन था बाढ़ के खोबी लाई को जी0आई0 टैग दिलाने का है । मुझे जो आंसर मिला है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं । उसमें दिया गया है कि 19.05.2025 को Geographical Indications Registry, Chennai को आवेदन किया गया है...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री सियाराम सिंह : जो कि प्रक्रियाधीन बताया जा रहा है । मैं आदरणीय उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह कब तक होगा ?

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे उत्तर तो बहुत स्पष्ट है, उद्योग विभाग इस काम को नहीं करती है, कृषि विभाग के द्वारा होता है । फिर भी मैंने उत्तर दिया है कृषि विभाग के द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर द्वारा बाढ़ में जो लाई उत्पाद संघ को सहयोग प्रदान करते हुए पटना जिले के बाढ़ के प्रसिद्ध खोबी की लाई को जी०आई० टैग । हमलोग भी बीच–बीच में जब भी उधर से जाते हैं तो इस लाई को खाते हैं और इसके जी0आई0 टैग पंजीकरण के लिये बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा दिनांक–19.05.2025 को ही सरकार ने गंभीरता से यह पत्र Geographical Indications Registry, Chennai को आवेदन कर दिया है । आवेदन अभी चेन्नई में लंबित है । हमलोग इसका फिर से कृषि विभाग को अनुरोध करते हैं कि पुनः एक स्मार पत्र वहां भेज दें लेकिन जैसे ही चेन्नई से रिपोर्ट आयेगा तो उसके बाद जी0आई0 टैग के लिये उद्योग संवर्धन और अतिरिक्त व्यापार विभाग, डी0पी0आई0आई0टी0 के अंतर्गत Geographical Indications Registry, Chennai के द्वारा भौगोलिक संकेतक के तहत प्रदान किया जायेगा । इसके पहले भी हमलोगों ने बिहार में जैसे–शाही लीची (मुजफ्फरपुर), कतरनी चावल (भागलपुर/बांका), जर्दालू आम (भागलपुर), मगही पान (मगध क्षेत्र), सिलाव खाजा

(नालन्दा), मिथिला मखाना (मिथिला क्षेत्र), मरचा चावल (पश्चिम चम्पारण), मधुबनी पेटिंग (मधुबनी), भागलपुरी सिल्क (भागलपुर) सुजिनी कढ़ाई, सिक्की ग्रास उत्पाद, मंजुषा कला (भागलपुर) इन सबको जी०आई० टैग पहले प्राप्त हुआ है और मुझे लगता है कि जल्द ही खोबी के लाई को भी जी0आई0 टैग के लिये हमलोग पुनः अनुरोध करेंगे । अभी मामला वहां पर चेन्नई में आवेदन किया जा चुका है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी गयाजी का तिलकुट भी जी0आई0 टैग के लिये अप्लाई किया गया है, इसको भी दिखवा लीजियेगा ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल , मंत्री : हुजूर अभी तक उधर से कोई आवेदन नहीं आया है, मैं इसको दिखवा लेता हूं ।

अध्यक्ष : मैं उपलब्ध करवा देता हूं ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल , मंत्री : हाँ, गयाजी का तिलकुट फेमस तो है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मंत्री जी को समझना चाहिये कि आसन आवेदन नहीं देता है, निदेश देता है ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल , मंत्री : महोदय, मैं निदेश को स्वीकार करता हूं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, यह बड़हिया का रसगुल्ला और बाढ़ का खोबिया लाई दोनों खाते हैं लेकिन उसके लिये प्रयास नहीं कर पाते हैं ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल , मंत्री : आज तक हुजूर, आपके सामने अब बोल ही देते हैं । आज तक विजय बाबू, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय वह रसगुल्ला हमको नहीं खिलाये हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मनेर का लड्डू प्रसिद्ध है क्या मंत्री जी उसको भी करना चाहेंगे, मनेर के लड्डू का ।

अध्यक्ष : सरकार ने ग्रहण कर लिया है । श्री श्याम रजक ।

श्री श्याम रजक : पूछता हूं सर ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल , मंत्री : महोदय, मैं एक बार अभी तक जिनको–जिनको जी0आई0 टैग प्राप्त हुआ है, उसके बाद और भी क्या समान को जी0आई0 टैग बिहार में प्राप्त हो सकता है । बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे मार्केटिंग बढ़ता है और इंटरनेशनल और मल्टी नेशनल कंपनियां भी उस सामान को खरीदती हैं क्योंकि जी0आई0 टैग को स्टेटस सिंबल है । तो हमलोग पूरे बिहार का पता कर लेते हैं और सभी माननीय सदस्य से चाहेंगे कि आपके भी क्षेत्र में जैसे–गोपालगंज में वहां पर पिडुकिया बनता है...

(व्यवधान)

हां, दही, रसकदम ।

अध्यक्ष : लिखकर दे दीजियेगा ।

टर्न–5 / धिरेन्द्र / 23.02.2026

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा चलते सत्र में वंसत उत्सव होता है तो जहाँ–जहाँ की विशेषता और विशिष्टता है, उसकी एक प्रदशर्नी भी हो जाय ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री जी, करवा देते हैं ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कुछ सामान मेरे पास आयेगा ।

(व्यवधान)

आप खिला दिये हैं । महोदय, जिनका–जिनका सामान आयेगा मेरे पास तो मैं एक बार उसको टेस्ट भी कर लूंगा और उसके बाद मैं उसको आगे बढ़ाउंगा।

अध्यक्ष : 25 तारीख को, जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय बाबू ने कहा हम सभी जगह से मंगवा लेते हैं ।

<u>तारांकि प्रश्न संख्या–1879, श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या–188, फुलवारी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1–वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम लखना गौरीचक थाना के अंतर्गत पड़ता है। ग्राम लखना में कोई थाना नहीं है।

2–गौरीचक थाना से ग्राम लखना की दूरी करीब 8.05 कि0मी0 है। ग्राम लखना में कोई घटना घटित होने पर गौरीचक थाना के गश्ती दल द्वारा ससमय पहुॅचकर नियंत्रित किया जाता है। गौरीचक थाना से ग्राम लखना का Response time लगभग 10 मिनट है। पक्की सड़क बनी हुई है, जिससे आवागमन में कोई परेशानी नहीं है। किसी घटना की सूचना प्राप्त होने पर डायल–112 तथा थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। अपराध नियंत्रण में है।

अतएव, लखना बाजार में पुलिस थाना स्थापित करने का औचित्य नहीं है।

3–उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है लेकिन इन्होंने कहा है कि वहां पर कोई औचित्य नहीं है जबकि लखना बाजार में प्रतिदिन छिनतई होती है । अभी नौ दिन पहले ही मोटरसाईकिल चोरी हो गई । वहां पर सूखा नशा वाले काफी लोग रहते हैं और वहां पर काफी अपराध होते रहते हैं और गौरीचक से वहां आने में 30–35 मिनट लगता है, वहां से धनरूआ थाना है वह भी काफी दूरी पर है लगभग 15 किलोमीटर, पुनपुन थाना है वह भी 12 किलोमीटर की दूरी पर है । इसलिए लखना बाजार में अगर थाना नहीं तो ओ॰पी॰ भी बना दें ताकि पेट्रोलिंग और कई चीजों के होने से वहां पर जो अपराधी हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सकता है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत स्पष्ट तौर पर बताया है कि लखना से मात्र 8.05 किलोमीटर पर गौरीचक थाना है और रिस्पांस टाईम मात्र 10 मिनट है लेकिन इसके बावजूद माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उसकी जाँच करा लेता हूँ, उसके बाद कार्रवाई करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1880, श्रीमती कोमल सिंह (क्षेत्र संख्या–88, गायघाट)

(लिखित उत्तर)

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1–बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में गायघाट प्रखंड मक्का की खेती के लिए अनुकूल क्षेत्र है। राज्य सरकार द्वारा विगत कुछ वर्षों में औद्योगीकरण हेतु लिये गये ठोस कदम से मुजफ्फरपुर जिला में खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में काफी निवेश हुआ है।

मुजफ्फरपुर जिला में मक्का आधारित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से आच्छादित कुल 30 इकाईयाँ कार्यरत हैं, जिसमें लगभग 714 करोड़ रूपये का निवेश हुआ है। उक्त के अलावा मुजफ्फरपुर में मक्का प्रक्षेत्र में 58 नये निवेश प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें लगभग 2958 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित है।

वर्तमान में मुजफ्फरपुर में बड़ी इकाईयाँ जैसे की भारत ऊर्जा डिस्टलरी प्रा० लि०, मुजफ्फरपुर बायोफ्यूल्स लि०, मैक्रो मैक्स बायोफ्यूल्स लि० इकाईयाँ, मक्का आधारित इथनॉल का विनिर्माण करती है। उक्त के अतिरिक्त अन्य बड़ी इकाईयाँ जैसे कि एबीज एक्सपोर्ट प्रा० लि० (बेला औद्योगिक क्षेत्र में पॉल्ट्री फिड्स की विनिर्माण इकाई), ब्राउन बेली फूड प्रोडक्टस (ब्रेड एवम् रस्क विनिर्माण इकाई), सुगना फूड प्रोड्क्ट (कैटल फिड विनिर्माण इकाई) आदि मक्का प्रक्षेत्र में कार्यरत है।

2–उद्योग विभाग द्वारा किसानों एवं निवेशकों के हित में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निजी निवेश को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु मुजफ्फरपुर में लगभग 143 एकड़ में मेगा फूडपार्क विकसित किया गया है जिसमें अद्यतन 25 औद्योगिक इकाईयों द्वारा 567.38 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश एवं 2530 लोगों के लिए रोजगार सृजन हुआ है।

3–राज्य सरकार के द्वारा स्वयं कोई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की जाती है। निवेशकों को प्रोत्साहित एवं आकर्षित करने हेतु प्रभावी औद्योगिक नीति में निहित प्रावधानों के तहत उन्हें विभिन्न सुविधाएँ एवं सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में उद्योग स्थापित करने हेतु इच्छुक उद्यमियों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत अनुमान्य सुविधाएँ/अनुदान प्रदन की जाती है। इसके अतिरिक्त सुक्ष्म इकाईयों के लिए

प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्यम उन्न्यन (PMFME) योजना के तहत क्रेडिट लिंक पूंजीगत अनुदान का भी प्रावधान है।

श्रीमती कोमल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत 01 लाख 05 हजार 303 मीट्रिक टन मक्का का प्रोडक्शन हुआ है जिसमें 27 परसेंट प्रोडक्शन मेरे ही विधान सभा क्षेत्र गायघाट में हुआ है । विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है कि जिन इकाइयों की बात इसमें की जा रही है, सही बात है कि सबसे ज्यादा अगर मक्का किसान किसी पर आधारित हैं तो वह इथनॉल प्लांट पर हैं क्योंकि हमारे मुजफ्फरपुर में चार–चार इथनॉल प्लांट हैं और अगर 100 के॰एल॰ के इथनॉल प्लांट की बात करें तो प्रतिदिन 380 मीट्रिक टन मक्का की खपत होती है लेकिन अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक तरफ इथनॉल के ऊपर जवाब दिया जा रहा है कि मक्का किसान इथनॉल पर आधारित हैं और दूसरी तरफ हम सभी लोग जानते हैं कि इथनॉल प्लांट की क्या स्थिति है । उन लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वे अपना 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर ही प्रोडक्शन करें तो यह भलीभाँति हमलोग देख रहे हैं और जो 50 परसेंट प्रोडक्शन...

.

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, पूरक पूछ लीजिये ।

श्रीमती कोमल सिंह : महोदय, 50 परसेंट जो उनको प्रोडक्शन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो इससे किसानों को भी बहुत समस्या हो रही है और रोजगार भी हमारा संकट पर आ गया है । अध्यक्ष महोदय, जब ओ॰एम॰सी॰ से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में दिया, विभाग ने भी जवाब में दिया कि ओ॰एम॰सी॰ का कहना है कि हम स्टेट रिक्वायरमेंट के बेस पर स्टेट से सप्लाई लेंगे तो मेरा सवाल है कि जब ओ॰एम॰सी॰ को पता था कि हमारी रिक्वायरमेंट बिहार में उतनी नहीं है तो फिर बिहार में इतने इथनॉल प्लांटों के साथ एल॰टी॰ओ॰ए॰ (Long term Optic Agreement) क्यों किया गया और जब किया गया तो उनसे लिया जाय क्योंकि हम सभी भलीभाँति जानते हैं कि सबसे ज्यादा मक्का और सबसे ज्यादा पानी हमारे बिहार में ही है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्रीमती कोमल सिंह : महोदय, लेकिन 100 परसेंट प्रोडक्शन हम गुजरात और राजस्थान से लेते हैं तो हम गुजरात और राजस्थान से जब 100 परसेंट प्रोडक्शन ले रहे हैं तो बिहार से क्यों ले रहें ? महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आयी थी वर्ष 1952 में, वही वजह थी कि हमारा बिहार पिछड़ा हो गया था क्योंकि जब उस समय बिहार और झारखंड एक था तो कोल की बात करें, मिनरल की बात करें, जितने भी मिनरल्स थे वे बिहार में थे लेकिन

हमलोग यहां से ले जाकर, इंडस्ट्रलिस्ट ने बाहर में फैक्ट्री लगायी यहां के मिनरल्स ले जाकर । आज वही हो रहा है कि मक्का यहां पर है, पानी यहां पर है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, सारी बात आ गयी है ।

श्रीमती कोमल सिंह : महोदय, और बिहार को ही 50 परसेंट प्रोडक्शन में ला दिया गया । 100 परसेंट गुजरात और राजस्थान सप्लाई कर रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हालांकि इथनॉल का इस प्रश्न में बहुत ज्यादा माननीय सदस्या ने चर्चा नहीं की है । उन्होंने यह बात जरूर कही है कि मक्का आधारित लघु मध्यम उद्योग अथवा फूड प्रोसेसिंग इकाई कब तक स्थापित करने का विचार रखती है । मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर जिला में मक्का आधारित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से आच्छादित कुल 30 इकाइयां कार्यरत हैं जिनमें 714 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है । एक और सूचना देना चाहूंगा कि अभी इधर कुछ दिनों से मक्का प्रक्षेत्र में 58 नये निवेश प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें करीब 2,958 करोड़ रुपये का निवेश मक्का से संबंधित ही आया है जिसको हम जल्द ही स्थापित करने जा रहे हैं । जहाँ तक इथनॉल प्लांट का सवाल है, मैंने पहले भी सदन को बताया है कि इथनॉल प्लांट के 11 इकाई ऐसे हैं जो कि डेडिकेटेड इथनॉल प्लांट हैं, उसके अलावा 08 इकाई बिना किसी परमिशन के, बिना भारत सरकार से समझौता किए उन लोगों ने अपना इथनॉल प्लांट लगाया है तो जो हमारा 11 डेडिकेटड इथनॉल प्लांट चल रहा है और उसमें करीब 35 करोड़ लीटर की खरीद हो रही है, 46 करोड़ लीटर का समझौता हुआ था, 11 करोड़ लीटर की कमी की गई है और 46 करोड़ लीटर के लिए हमलोगों ने अभी उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और देश के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी ने बहुत गंभीरता से सवाल को उठाया था और हमने वादा किया था कि हम वहां पर जा कर भारत सरकार से अनुरोध करेंगे और हमने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से अनुरोध किया, उन्होंने अपनी सहमति दी और माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा जी, आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी और मैं स्वयं उद्योग मंत्री के रूप में मेरे सारे पदाधिकारी दिल्ली जा कर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी के पास सारी बातों को रखा, उन्होंने कहा कि जो आपके आठ प्लांट ऐसे हैं जिनको भारत सरकार से कोई समझौता नहीं हुआ था, उन्होंने अपने मन से खोला है लेकिन जो डेडिकेटेड इथनॉल प्लांट हैं, उसमें 11 करोड़ लीटर अभी हमलोग खरीद नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है, पहले वादा किये थे

लेकिन बाद में हमलोगों ने जब बहुत ज्यादा उनको अनुरोध किया तो उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही हम डेडिकेटेड इथनॉल प्लांट का जो भी उत्पादन होता है, जो 46 करोड़ लीटर था, हम उसके समकक्ष फिर से खरीदना शुरू कर देंगे और जो जल्द ही शुरू हो जायेगा और दूसरा यह है कि जो हमारा तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा, हमने उनको परमिशन भी दे दिया है उद्योग विभाग से और वे निवेश जो हैं जल्द ही हमारे पास मक्का आधारित फूड प्रोसेसिंग प्लांट का होने जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती सावित्री देवी ।

श्रीमती कोमल सिंह : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, काफी विषय आ गए हैं, कोई विषय नहीं रहा । सारी बात सरकार ने बता दी है ।

श्रीमती कोमल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा सप्लीमेंट्री सवाल है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बोलिये ।

श्रीमती कोमल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि अन्य 30 इकाई हैं जिला में तो हम यह पूछना चाहेंगे कि अगर इतना ही सब मक्का पर आधारित है तो फिर जो मक्का पिछले साल 26 रुपये में बिक रहा था, आज 16 रुपया में भी उसकी पूछ नहीं है, इसकी क्या वजह है ? अगर यह इथनॉल वजह नहीं है तो क्या वजह है कि मक्का का रेट आज के डेट में आधा हो गया है? पहला है और दूसरा हम यह भी बोलना चाहेंगे माननीय मंत्री जी को कि एक और चीज हमलोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि मक्का जो, एक तो 50 परसेंट उनका प्रोडक्शन कर दिया गया है और दूसरा उन पर एक और पॉलिसी थोपी गयी ओ॰एम॰सी॰ के द्वारा कि 40 परसेंट वह अपना प्रोडक्शन, जो 50 परसेंट प्रोडक्शन है उसमें भी वह 40 परसेंट प्रोडक्शन चावल से करेंगे जो बिहार का चावल नहीं है, पंजाब से हमें एफ॰सी॰आई॰ के द्वारा भेजा जायेगा और पंजाब के चावल को कुट कर हम बिहार में इथनॉल बनायेंगे 40 परसेंट। ऐसा क्यों है ? अगर हम यहां पर बिहार के चावल से बनायें या मक्का से बनायें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार सिंह जी ।

श्री नीरज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम इथनॉल प्लांट की बात बाद में करेंगे । पहले हम यह चाहते हैं कि जो किसान हमारे मक्का उत्पादक हैं जिनका रेट पिछले साल 2400 से 2600 रुपया था, आज घटते जा रहा है । इसका मुख्य कारण क्या है ? इसका मुख्य कारण है कि इथनॉल प्लांट हमारा बंद हो रहा है और सबसे बड़ी गड़बड़ी यह हो रही है कि लोग मक्का किसान को नजरंदाज करते जा रहे हैं । माननीय उद्योग मंत्री जी बतायें कि जिस तरह से इथनॉल प्लांट चल रहे हैं उनको

चालू करें । मंत्री जी का दो तरह का जवाब है, एक है कि हम जिससे एग्रीमेंट किये हैं उनकी चिंता करेंगे, जिनका हम एग्रीमेंट नहीं किये हैं उनकी चिंता हम नहीं करेंगे तो इससे हमारा उद्योग नहीं चलेगा। अगर बिहार में कोई उद्योग लगा रहा है तो उसकी चिंता सरकार को करनी पड़ेगी कि अगर उद्योग लग रहा है तो उद्योग धंधा चले । दूसरा, एक सवाल इसमें और करना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय से कि उद्योग जो भी बिहार में लगते हैं, माननीय श्री नीतीश मिश्रा जी उस समय उद्योग मंत्री थे, हमलोगों ने पत्र निकलवाया था कि जो भी बिहार में उद्योग लग रहे हैं, उसका जो भी प्रोडक्शन होता है, बिहार सरकार में जहाँ भी उसकी आवश्यकता होती है वह लगे, प्रोडक्शन का इस्तेमाल बिहार में ही हो लेकिन महोदय, पत्र निकलने के बाद भी कोई विभाग इंप्लीमेंट नहीं करता है और सामान बिहार के बाहर से आता है और लोग यहां परेशान होते हैं, उद्योग धंधा लगाने वाले परेशान होते हैं तो कैसे बिहार में उद्योग लगेगा, कैसे बिहार डेवलप करेगा ? इसकी चिंता सरकार करे, इसका जवाब भी सरकार को देनी चाहिए ।

श्री अजीत कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक मिनट रूक जाइये ।

श्री अजीत कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस मक्के का एम॰एस॰पी॰ रेट फिक्स कर के क्यों नहीं पैक्स के माध्यम से सरकार खरीदना चाहती है । अगर मक्का किसान को प्रोटेक्शन सरकार देना चाहती है, मक्का का उत्पादन बढ़ाना चाहती है तो एम॰एस॰पी॰ रेट फिक्स कर के पैक्स के माध्यम से या फिर दूसरे एस॰एफ॰सी॰ से मक्का खरीदने का क्या सरकार विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

टर्न–6 / पुलकित / 23.02.2026

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजीत भाई ने तो मेरे प्रश्न का जवाब दिया कि एम0एस0पी0 रेट फिक्स कर दिया जाए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरफ डाइवर्ट हुआ । मैं तीनों सदस्य को संतुष्ट करना चाहूंगा ।

पहला तो जो माननीय सदस्या कोमल जी ने कहा, तो उसका मैंने जवाब दिया कि मक्का के रेट में जो थोड़ा बहुत फर्क आया है वह सिर्फ इसलिए आया कि आपने अस्थिरता दिखायी कि इथेनॉल की खरीद नहीं हो रही है । उसका तो जवाब मैंने दे दिया कि जो 46 करोड़ लीटर मक्का के उत्पादन से इथेनॉल बनाया जाता था डेडिकेटेड प्लांट और जो भी प्लांट है, वह फिर से सरकार, केंद्र सरकार, उसकी खरीद करेगी और एक भी इथेनॉल प्लांट बंद नहीं

होगा, इस बात की गारंटी मैं सदन में देता हूं । अब इससे ज्यादा तो नहीं कह सकता हूं ।

दूसरा, यह कि माननीय नीरज कुमार जी, माननीय सदस्य का जो सवाल था कि इथेनॉल प्लांट और उसके साथ–साथ मक्का के रेट का, तो हमको लगता है कि इसमें वह भी जवाब आ गया कि मक्का का जो रेट है वह रेट भी कम नहीं होगा । जैसे ही यह पत्र आता है, जो एक अस्थिरता का माहौल फैलाने का प्रयास किया गया है, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही सोशल मीडिया में रोना–गाना शुरू कर दिए थे, जबकि वैसे रोने–गाने वाली बात थी नहीं। मैंने कहा भी कि कितना दिन प्लांट बंद हुआ है ? और लिखित कितना दिन हुआ है वह भी मैंने बताया था । लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि जो प्लांट खुला है, उस प्लांट की वायबिलिटी रहे, यह सरकार की जिम्मेवारी है ।

जहां तक अजीत भाई ने जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा, यह तो फिर कृषि विभाग और पॉलिसी की बात है, तो वह भी जो है सरकार अपना देखेगी।

श्री अजीत कुमार : महोदय, किसान उससे सुरक्षित हो जायेंगे और मक्का का उत्पादन भी बढ़ेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0–1881, श्रीमती सावित्री देवी (क्षेत्र सं0–243, चकाई)

अध्यक्ष : उत्तर मिला है ?

श्रीमती सावित्री देवी : महोदय, पूछती हूं । उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्या ने इसमें खैरा और पुजहर जाति को अनुसूचित जनजाति के दर्जे में शामिल करने के लिए कहा है। जो मुख्य रूप से जमुई के चकाई इलाके में खैरा पुजहर जाति के लोग रहते हैं। और यह लोग जब जाति प्रमाण पत्र लेते हैं, तो यह लोग माल पहाड़िया जाति के नाम से प्रमाण पत्र लेते हैं । इन लोगों को, खैरा (पुजहर) को भी माल पहाड़िया जाति के नाम से प्रमाण पत्र दिया जाता है और माल पहाड़िया यह पहले से ही अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल है, इसलिए उन लोगों को अनुसूचित जनजाति का लाभ अभी मिल रहा है । वैसे, कोई अलग से मामला अगर आपके संज्ञान में होगा जिसको प्रमाण पत्र मिलने में कठिनाई है, तो वह आप बताएंगी तो हम लोग जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे ।

(लिखित उत्तर)

1–अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभागए बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–13623, दिनांक–10.09.2015 द्वारा बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की सूची में खैरा (पुजहर) जाति का नाम अंकित नहीं है । साथ ही, विभागीय परिपत्र संख्या–225, दिनांक–16.01.2007 द्वारा बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में भी खैरा (पुजहर) जाति का नाम अंकित नहीं है ।

इस संबंध में जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक–414, दिनांक–21.02.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि जमुई जिले के अंचल चकाई अंतर्गत 'पुजहर' समुदाय के लोग मुख्यतः घुटवे, डढवा, कल्याणपुर, सरौन, माधोपुर, दुलमपुर, पटेरपहाड़ी, नावाडीह सिलफरी, ठाड़ी, गजही, पोझा आदि पंचायत में निवासित है । इनलोगों के द्वारा केवाला/दस्तावेज में जाति के रूप में मालपहड़िया दर्ज करवाया जाता है, जिसके आधार पर पूर्व से इस समुदाय के लोगों का जाति प्रमाण पत्र मालपहड़िया जाति से निर्गत होता है, जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है । इनकी अनुमानित आबादी लगभग 3000 के आसपास है । अन्य जिलों से खैरा (पुजहर) जाति के लोगों के निवास के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है ।

2– प्रश्न की उपर्युक्त कंडिका–1 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जहाँ तक खैरा (पुजहर) जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने का प्रश्न है, यह विषय केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

श्रीमती सावित्री देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि खैरा, पुजहर का आदिम काल से ही आदिवासियों के साथ रह रहे हैं । इनकी वेशभूषा, रहन–सहन एवं बोल–चाल आदिवासियों के ही समान है। क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाना चाहेंगे कि उक्त जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का विचार कब तक रखते हैं ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्या बिल्कुल ठीक कह रही हैं और उसी के आधार पर उन लोगों को खैरा (पुजहर) जाति को माल पहाड़िया का जाति प्रमाण पत्र देकर अनुसूचित जनजाति का लाभ दिया जा रहा है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1882, श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र सं0–155, कहलगांव)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अस्वीकारात्मक ।

बिहार सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा भागलपुर जिला अन्तर्गत सन्हौला प्रखंड कोई भी फूड प्रोसेंसिंग पार्क की योजना स्वीकृत नहीं की गयी है।

मेसर्स केवेंटर एग्री इंफ्रा लिमिटेड द्वारा रैयत से सीधा सम्पर्क कर फूड पार्क हेतु जमीन खरीदा गया । वर्तमान में इस भूमि पर उद्योग स्थापित नहीं है । भूमि सरकार की नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर प्राप्त है ?

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है । मेरा पूरक है । सरकार ने स्वीकार किया है कि 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त भूमि पर कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ है । चूँकि किसानों से यह जमीन फूड पार्क बनाने के नाम पर ली गई थी और वर्तमान में न उद्योग है और न खेती हो पा रही है । तो क्या सरकार जनहित में इस जमीन का निबंधन रद्द कर इसका मालिकाना हक पुनः किसानों को वापस करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया है कि माननीय सदस्य का जो सवाल है उसमें है कि बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार के द्वारा सन्हौला प्रखंड में फूड प्रोसेसिंग पार्क की योजना स्वीकृत हुई थी । ऐसा कोई बात नहीं है । सन्हौला में न तो बिहार सरकार और न ही केंद्र सरकार के द्वारा किसी तरह का फूड प्रोसेसिंग पार्क की योजना कोई स्वीकृत नहीं की गई । मेसर्स केवेंटर एग्री इंफ्रा लिमिटेड के द्वारा रैयत से सीधा संपर्क स्थापित करके फूड पार्क हेतु जमीन खुद खरीदी गयी है। उनके द्वारा व्यक्तिगत खरीदी गयी है और जो अभी तक उनको उस पर उद्योग स्थापित नहीं किए हैं । यह भूमि सरकार की नहीं है और न ही इस तरह का कोई प्रस्ताव है ।

फिर भी, मेसर्स केवेंटर एग्री इंफ्रा लिमिटेड को हम लोग संपर्क करते हैं कि जब आपने जमीन खरीदी है फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए, तो आप इस पर जो है अपना उद्योग स्थापित करें । वह हम व्यक्तिगत उनको संपर्क स्थापित करके उनसे अनुरोध कर सकते हैं और सरकार भी उनसे अनुरोध करेगी ।

श्री शुभानंद मुकेश : महोदय, इसमें 10 साल हो गए हैं, बहुत लंबा समय लग गया है।

अध्यक्ष : जल्दी हो जाएगा । मंत्री जी दिखवा लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1883, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल (क्षेत्र सं0–153, गोपालपुर)</u>

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल : महोदय, पूछता हूं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसमें यही है कि सरकार ने अनुग्रह नारायण सिंह सामाजिक अध्ययन संस्थान के माध्यम से 2019 में ही एक एथनोग्राफिक रिपोर्ट अलग–अलग जातियों के बारे में बनवाई थी । उसमें गंगोता जाति के बारे में

विस्तृत सामाजिक आर्थिक अध्ययन किया गया था । उसके आधार पर जो माननीय सदस्य की मांग है, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने का फैसला यह केंद्र सरकार के स्तर पर होता है । यह राज्य सरकार के क्षेत्राधीन नहीं है ।

इसलिए अनुग्रह नारायण सिंह सामाजिक अध्ययन संस्थान की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार का, जो जनजातीय मंत्रालय है, ट्राइबल मिनिस्ट्री है, उसको अनुशंसा की गई थी । लेकिन उन्होंने उसमें कुछ पृच्छाएं, कुछ आपत्तियां जताकर दावा अस्वीकृत कर दिया है । लेकिन सरकार फिर जिन बिंदुओं पर उनकी आपत्तियां थीं, उस पर सरकार अपनी तरफ से प्रतिवेदन लगाकर उन सब स्थितियों को स्पष्ट करते हुए फिर से एक बार हम लोग उनको अनुरोध कर रहे हैं कि इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करें ।

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल : अध्यक्ष महोदय, विद्वान मंत्री हमारे विजय बाबू ने स्पष्ट सारी बातों को स्पष्ट रूप से रखने का काम किया है । लेकिन हमारी सारी बातें कही भी हैं । लेकिन हमारी एक इच्छा है उसमें या उनसे अनुरोध हैं कि जो आर0जी0आई0 की रिपोर्ट आई है वहां से, बिहार राज्य सरकार की सिफारिश और औचित्य इस मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि जो गंगोता जाति की संरचना है वह सारी अर्हता भी जनजाति को पूरा कर रही है । उसका सारा जाति जनगणना का रिपोर्ट भी है और उसका पहले भी एथनोग्राफिक रिपोर्ट भी है । उसके आधार पर आपने कैबिनेट को भेजने, कैबिनेट से भेजने का भी काम किया । आर0जी0आई0 ने उसका अगर उस तरह से रिपोर्ट दिया तो आपको उस पर सकारात्मक पहल करके...

अध्यक्ष : पुनः जवाब सरकार का जा रहा है ।

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल : इस पर निश्चित रूप से जनजाति में कैसे शामिल हो उस पर सरकार पूरी तरह से क्रियान्वित करे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है फिर से एक बार भेजा जाएगा ।

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल : महोदय कब तक क्योंकि 1921 से ही यह मामला चल रहा है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, बुलो जी, हमने तो कहा है कि जो एथनोग्राफिक रिपोर्ट थी जो 2019 में आई, उसमें आप जो कह रहे हैं उसी बात की ताईद हुई है । उसी की पुष्टि हुई है और इसीलिए राज्य सरकार ने गंगोता जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का अनुरोध केंद्र सरकार का जो जनजातीय मंत्रालय है उसको भेजा था । लेकिन उस पर उसने कुछ टिप्पणियां करके उसको अस्वीकृत कर दिया है । जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, हमने तो बताया कि

सरकार पहले से ही उस पर प्रयत्नशील है कि जिन बिंदुओं पर उन्होंने टिप्पणी दी है उनकी टिप्पणियों का निराकरण करके सरकार फिर से उस पर मतलब उनको अनुशंसा करने का काम कर रही है ।

तारांकित प्रश्न सं0–1884, श्री अजय कुमार (क्षेत्र सं0–138, विभूतिपुर)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : भागलपुर जिला में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र प्रायोजित सिल्क समग्र–2 योजनान्तर्गत अंडी विकास की योजना के लिए 390.00 लाख रुपये की राशि क्रियान्वयन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी गई है।

भागलपुर जिला के साथ–साथ पूरे राज्य में विद्युतकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा पर उत्पादित वस्त्र पर लागत कम करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2006 से विद्युतकरघा बुनकरों को उनके द्वारा खपत की गई विद्युत पर 1.50 रुपया प्रति यूनिट की दर से प्रति वर्ष विद्युत अनुदान देने की योजना क्रियान्वित है । इसे बाजार में और प्रभावी एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2014 से विद्युत अनुदान की राशि बढ़ाकर 3.00 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत अनुदान दिया जा रहा है ।

अनुदान की राशि सीधे बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कंपनी लि०, पटना को उपलब्ध करायी जाती है । वर्ष 2024–25 में राशि 795.00 लाख रुपये एवं वर्ष 2025–26 में राशि 1595.00 लाख रुपये बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कंपनी लि०, पटना को उपलब्ध करायी गई है । राज्य सरकार द्वारा राज्य के विद्युतकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा पर उत्पादित वस्त्रों पर लागत कम करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2025–26 (अब तक) कुल 11217.11 लाख रुपये की राशि सब्सिडी के रुप में उपलब्ध करायी गई है ।

बुनकरों के लिए बाजार उपलब्ध कराने हेतु राज्य अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित एन0एच0डी0पी0 योजनान्तर्गत मेला/एक्सपो का आयोजन किया जाता है जिसमें राज्य के बुनकरों को स्टॉल आवंटित कर अपने उत्पादों की बिक्री का अवसर प्रदान किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2024–25 में हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के अधीन कुल 04 स्टेट हैण्डलूम एक्सपो का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 360.00 लाख रुपये के उत्पादों की बिक्री हुई ।

इसके अतिरिक्त खादी ग्रामोद्योग एवं उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना द्वारा भी मेला/एक्सपो का आयोजन कर बुनकरों को बिक्री हेतु बाजार उपलब्ध कराया जाता है ।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन संचालित खादी मॉल भी बुनकरों के लिए बाजार उपलब्ध कराता है, जिससे बुनकरों को आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन मिलता है ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब विभाग से आया है । लेकिन इसमें दो–तीन पूरक एक साथ चूँकि समय कम है हम पूछ लेते हैं । एक तो पहला कि काफी बिजली उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपने अनुदान के तौर पर पहले 1.50 पैसा फिर 3 रुपया और उसी आधार पर जो है पहले आपने जो है 795 लाख रुपया और फिर बाद में 2025–26 में 1595 लाख रुपया बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन को आपने दिया ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री अजय कुमार : क्या उद्योग विभाग इस बात का सर्वे कराया है कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है जिससे वह अपना बिजली बिल अदा नहीं कर पा रहा है ? माननीय मंत्री जी मैं अभी नाथनगर गया था और बुनकरों के बीच जाकर के उनसे मिलने के लिए, कभी मैं गया नहीं था देखने के लिए, तो पता चला कि एक–एक ऐसे–ऐसे बुनकर हैं जिनके ऊपर बिजली का बकाया जो है काफी–काफी है । वह महीने में कुछ–कुछ अदा कर रहे हैं उनकी बिजली चल रही है । कोई कैंप लगा करके जो आप अनुदान देते हैं उससे एक साथ उसका सेटलमेंट अगर सरकार करा देती है, कराना चाहती है तब वह शायद पूरा हो पाएगा । एक तो मेरा यह पूरक हो गया ।

दूसरी बात हमें कहनी है कि आप बराबर उसके बाजार के लिए आप कई जगह की चर्चा आपने की है कि हैंडलूम एक्सपो का आयोजन...

अध्यक्ष : कृपया संक्षेप करें । समय हो रहा है ।

श्री अजय कुमार : जी । वह सब आप बाजार के लिए कर रहे हैं । लेकिन क्या उद्योग विभाग ने रेशम उद्योग के लिए उसको अपनी जमीन उसके लिए वहां उपलब्ध कराई है ? उसके पास जमीन है । बिहार सिल्क इंडस्ट्रीज के लिए जमीन है। उसमें क्या वस्त्र पार्क का निर्माण करके परमानेंट उसको बाजार देने की इच्छा रखती है कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर बहुत ही स्पष्ट है कि जो बुनकर के द्वारा बिजली का उपयोग किया जाता है पहले 1.50 रुपया प्रति यूनिट की दर से हम लोग विद्युत अनुदान देते थे । लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने उस अनुदान को बढ़ाकर के 3 रुपया प्रति यूनिट कर दिया है और यह

भी मैंने बताया कि 2025–26 में 1595 लाख रुपया बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को हम लोगों ने बुनकर के लोगों का सीधा पेमेंट भी कर दिया है ।

इसके साथ–साथ बुनकर के लिए बाजार उपलब्ध कराने हेतु राज्य अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत मेला/एक्सपो का आयोजन किया जाता है जिसमें राज्य के बुनकरों को स्टॉल आवंटित कर अपने उत्पाद के बिक्री का अवसर प्रदान किया जाता है । अभी हम लोगों ने ऐसा एक्सपो लगवाया था जिसमें 360 लाख रुपये की बिक्री उनकी हुई थी जो सीधा स्टॉल वही लगाते हैं और इसके साथ–साथ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अधीन संचालित खादी मॉल भी बुनकर के सामान को बाजार में उपलब्ध कराता है । लेकिन माननीय सदस्य का अनुरोध हैं कि एक बार उनकी स्थिति का सर्वे करा लिया जाए । निश्चित रूप से जितने भी बुनकर हैं मैं एक बार सर्वे करवा लेता हूँ और देख लेता हूँ कि उनको और क्या हम लोग मदद कर सकते हैं ।

टर्न–7/अभिनीत/23.02.2026

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जायं । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 23 फरवरी, 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री रणविजय साहू, स0वि0स0, श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0, श्री अजय कुमार (138), स0वि0स0, श्री अभिषेक रंजन, स0वि0स0, श्री अजय कुमार, स0वि0स0 ।

आज दिनांक 23 फरवरी, 2026 को सदन में राजकीय (वित्तीय) विधेयक ''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026'' निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिए जायेंगे ।

श्री रणविजय साहू : महोदय...

अध्यक्ष : बोलिए ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, बिहार में शराबबंदी कानून जमीनी स्तर पर पूरी तरह से विफल हो चुका है । हाल ही में दिनांक–18.02.2026 को रोहतास जिला में जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मृत्यु हो गयी । साथ ही, सीवान, सारण और

गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 35 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी । सरकारी और NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से अबतक राज्य में जहरीली शराब से 300 से अधिक जानें जा चुकी हैं । राज्य में प्रशासन और शराब माफियाओं की मिलीभगत से 30,000 करोड़ से अधिक की अवैध शराब का समानांतर ब्लैक मार्केट चल रहा है । विदेशी शराब की होम डिलीवरी से लेकर गली–मोहल्लों में महुआ शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है । उत्पाद विभाग द्वारा केवल छेटे तस्करों को पकड़ कर आंकड़ों की खानापूर्ति की जा रही है, जबकि बड़े सिंडिकेट बेखौफ काम कर रहे हैं । इस नीतिगत और प्रशासनिक विफलता की सबसे बड़ी कीमत राज्य के गरीब परिवार अपनी जान देकर चुका रहे हैं ।

अतः दिनांक– 23.02.2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर सरकार की इस जानलेवा विफलता पर अविलंब चर्चा कराने हेतु अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण...

श्री रणविजय साहू : महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है, जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । विषय को सरकार ने संज्ञान में लिया है । बैठ जाइये ।

माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होगा । आज से शून्यकाल की सूचना ऑनलाईन आयी है । आपने इसे पॉजिटिव रूप में लिया है । कुल 83 सदस्यों ने सूचना दी है । पांच सदस्यों की सूचना अंकित नहीं हो सकी, इसे अमान्य किया गया है । वह पुनः दूसरे दिन दे सकते हैं ।

शून्यकाल

श्री राहुल कुमार : अध्यक्ष महोदय, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक जो बिहार अनुसचिवीय कर्मचारी संघ की 10 सूत्री मांगों को लेकर दिनांक–28.08.2025 को हुई थी, का अविलंब अनुपालन करायें अन्यथा संघ फिर हड़ताल पर चला जायेगा और सरकार के हर स्तर पर नागरिक के कार्य प्रभावित होंगे ।

श्रीमती बिनिता मेहता : अध्यक्ष महोदय, गोविंदपुर सकरी नदी पर बक्सोती से महेशपुर तक पुल का निर्माण हुआ है जिससे सिर्फ महेशपुर गांव को लाभ हो रहा है । सरकार से मांग करती हूं कि बीच सकरी नदी महेशपुर से डुमरी तक पुल का निर्माण कराया जाय ताकि गोविंदपुर से रोह प्रखंड जुड़ जाए ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिलांतर्गत बरौली, सिधवलिया एवं बैकुण्ठपुर प्रखंड के छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार आधुनिक सुविधाओं से युक्त डिजिटल ई–लाइब्रेरी इन तीनों प्रखंड मुख्यालयों में स्थापित करने की कार्रवाई शीघ्र करे ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलांतर्गत गोह विधान सभा क्षेत्र में कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं होने से क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है । मैं गोह प्रखंड के देवकुण्ड में उपलब्ध जमीन पर डिग्री कॉलेज के स्थापना की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलांतर्गत बेगूसराय प्रखंड के रजौड़ा–चांदपुरा पथ जिसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर है । उक्त पथ एवं उस पर स्थित पुल भयावह स्थिति में है जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ।

अतः जनहित में उक्त पथ एवं पुलों का निर्माण यथाशीघ्र प्रारंभ कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री राम चन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हायाघाट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड हायाघाट के अशोक पेपर मिल के नजदीक अकराहा उत्तरी से साधोपुर तक एवं प्रखंड बहेड़ी के हथौड़ी पुल से रूपौलिया तक वाटरवेज बांध पर सड़क नहीं होने से आवागमन अवरूद्ध है । मैं सरकार से उक्त बांध पर सड़क निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री सुभाष सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज, गोपालगंज का निर्माण चनावे, थावे में करने हेतु घोषणा हुई थी तथा भूमि की अनुशंसा BMSICL द्वारा पत्रांक–7399, दिनांक–21.11.2024 तथा ज्ञापांक–7232, दिनांक–15.11.2024 से किया जा चुका है ।

अतः अन्य भूमि की जांच न कर BMSICL द्वारा अनुशंसित भूमि पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग करता हूं ।

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिलांतर्गत सूर्यगढ़ा पंप नहर योजना, हैवतगंज को 16 अप्रैल, 1994 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा चालू किया गया था जो वर्ष 2005 से बंद है । दिनांक– 02.12.2018 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा 11 करोड़ 50 लाख रुपये देकर जीर्णोद्धार कराया गया, लेकिन अभी तक योजना पुनजीर्वित नहीं हुई है ।

अतः उक्त योजना को यथाशीघ्र प्रारंभ करवाने की मांग करती हूं ।

टर्न–8 / हेमन्त / 23.02.2026

श्री मो0 गुलाम सरवर : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत डगरूआ प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण छात्र–छात्राओं को 12वीं के बाद शिक्षा छोड़ देना पड़ता है, कुछ छात्र दूर किसी दूसरे जगह जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। मैं डगरूआ प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग करता हूं।

श्री मो0 सरवर आलम : अध्यक्ष महोदय, कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत अलता APHC कई पंचायतों का केंद्र है, लेकिन संसाधनों की कमी से बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। मैं जनहित में उक्त APHC को 6 बेड वाले PHC में उत्क्रमित कर सुलभ चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सरकार से मांग करता हूं।

श्री रंजन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी व्यवस्था में गंभीर अनियमितताएं हैं। सीडीपीओ मुख्यालय में निवास नहीं करते, बायोमैट्रिक उपस्थिति लागू नहीं है, पोषाहार घटिया है, अवैध वसूली व किराया गबन हो रहा है तथा फर्जी निरीक्षण दिखाया जा रहा है। अतः इसकी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

श्री राधाचरण साह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत संदेश प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण जिस स्थान पर किया जा रहा है, उससे खेल मैदान एवं सभा स्थल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः जनहित में संदेश प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भवन निर्माण स्थल परिवर्तित करने की मांग करता हूँ।

श्री विमल राजवंशी : अध्यक्ष महोदय, रजौली विधानसभा अंतर्गत रजौली चेक पोस्ट पर पदाधिकारियों की संलिप्तता से शराब, गिट्टी, बालू, गाय एवं अन्य तस्करी की शिकायत है। सरकार उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे तथा अवैध गतिविधियाँ रोकने हेतु ठोस कदम उठाने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष : श्री मुरारी प्रसाद गौतम

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर, बिथान, सिंघिया प्रखंडों के हजारों किसानों ने कृषि कार्य सिंचाई हेतु आवेदन किया है और कंज्यूमर बने हुए हैं, लेकिन उनके खेत तक विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाई है।

अतः जनहित में शीघ्र विद्युत आपूर्ति बहाल करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत बंद पड़े चकिया चीनी मिल की कीमती जमीन को भूमाफियाओं द्वारा जाली कागजात तैयार कर जमीन बेचने की होड़ लग गई है। ज्ञातव्य हो कि सरकार ने उस चीनी मिल को चालू

करने का निर्णय लिया है, गलत करने वालों पर शीघ्र कार्रवाई हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा अंतर्गत भटोनी पंचायत के तुलसीयाही गाँव से लेकर सहमोरा तक सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है। इस मार्ग पर आवागमन सुगम बनाने हेतु सड़क एवं पुल का निर्माण अति आवश्यक है। अतः मैं सरकार से अविलंब इसके निर्माण की मांग करता हूँ।

श्रीमती स्नेहलता : अध्यक्ष महोदय, मौर्यकाल हमारा गौरवशाली इतिहास है, जब भारत "सोने की चिड़िया" कहलाता था। सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ आज राष्ट्र चिन्ह है। ग्राम स्वराज की भावना को सशक्त करने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ कि राज्य के सभी पंचायत सरकार भवनों में अशोक स्तंभ स्थापित किया जाए।

श्रीमती निशा सिंह : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के प्राणपुर विधानसभा अंतर्गत बड़े क्षेत्रफल वाले आजमनगर प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में लगातार लो–वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। विद्युत वितरण की सटीक आपूर्ति हेतु आजमनगर प्रखंड के मध्य एक नए पावर हाउस निर्माण की मांग मैं सरकार से करती हूँ।

श्रीमती देवंती यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत पंचायत पथराहा के घूरना स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की लगभग तीन एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर चहारदीवारी कराने की मांग मैं सरकार से करती हूँ।

श्री मनोज कुमार : अध्यक्ष महोदय, अरवल शहर एन0एच0–139 पर घंटों जाम की समस्या से अरवलवासियों का जीवन बुरी तरह प्रभावित है। अतः इस समस्या के निवारण हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ।

श्रीमती छोटी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, छपरा का नव निर्मित मेडिकल कॉलेज करोड़ों रुपये की लागत से तैयार है, ओपीडी चल रही है, परंतु फैकल्टी की कमी तथा IPD, इमरजेंसी, पोस्टमार्टम सुविधाएँ संचालित नहीं हैं। इन कारणों से मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों का नामांकन प्रारंभ नहीं हो सका है। नियुक्तियाँ शीघ्र सुनिश्चित करने की मांग करती हूँ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के नौबतपुर थाना अंतर्गत गाँव सरासत स्थित खुले नाले में दिनांक 20.02.2025 को आंगनबाड़ी से लौट रही ढाई वर्षीय रिया की गिरकर मौत हो गई। मैं जिला के सभी खुले नालों को शीघ्र ढकने एवं जाँचोपरांत दोषी पदाधिकारी सहित संवेदक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष : श्री राणा रणधीर।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री पप्पु कुमार वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अरवल जिले में शहर तेलपा, खड़ासिन, उपहारा, सेनारी, बिथरा सेनानी नहर होते हुए कुर्था बाईपास से बभना (जहानाबाद) तक एक राज्य राजमार्ग के निर्माण की मांग करता हूँ ताकि इससे तीन जिले अरवल, औरंगाबाद तथा जहानाबाद की जनता को आवागमन में सुविधा हो सके।

मोहम्मद मुर्शिद आलम : अध्यक्ष महोदय, राज्य में 91 अंबेडकर आवासीय विद्यालय संचालित हैं। TRE 2–3 में उत्तीर्ण शिक्षकों को इसमें नियुक्त किया गया है। उक्त शिक्षकों से 24 घंटे कार्य कराया जाता है। वर्ष 2017–18 के नियुक्त शिक्षकों की भाँति विद्यालय अध्यापकों को सातवाँ वेतनमान दिया जाए। उक्त शिक्षकों को मैं सातवाँ वेतनमान देने की मांग करता हूँ।

श्री मांजरीक मृणाल : अध्यक्ष महोदय, वारिसनगर क्षेत्र तथा समस्तीपुर जिला के सतही एवं भूमिगत जल स्रोतों में यूरेनियम की संभावित उपस्थिति संबंधी जन–चिंता को देखते हुए राज्य सरकार से अनुरोध है कि इन क्षेत्रों में व्यापक वैज्ञानिक जल परीक्षण कराया जाए तथा रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

श्रीमती कविता देवी : अध्यक्ष महोदय, कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के फलका प्रखंड स्थित दरमाही उप स्वास्थ्य केंद्र, जो फलका सीएचसी से 15 कि.मी. दूर है, पिरमोकाम पंचायत सहित आसपास के 40,000 लोगों को सेवा देता है। अतः इसे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करने की सरकार से मांग करती हूँ।

श्री बशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत करगहर प्रखंड में पटेल चौक खडारी बाजार है, जो सासाराम–चौसा एवं बरांव–जहानाबाद पथ का चौक है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है एवं 6 पंचायतों के लोगों का आवागमन है। यहाँ सरकारी स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था नहीं है। मांग करता हूं कि खडारी में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करे।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली नियोजित शिक्षकों साथ एक ही नियमावली से हुई, इन्होंने सक्षमता परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इसके बावजूद घर से 200–400 कि.मी. दूर पदस्थापित पुस्तकालयाध्यक्षों को स्थानांतरण की सुविधा नहीं दी गई। पुस्तकालयाध्यक्षों का स्थानांतरण शुरू करने की मांग करता हूँ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा, ममता कुरियर अपने लंबित प्रोत्साहन एवं पारितोषिक राशि के भुगतान, सेवा निवृत्ति की उम्र 65 वर्ष एवं सरकारी सेवक घोषित करने सहित अन्य मांगों को लेकर आज धरना पर बैठे हैं। मैं सरकार से उक्त मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग करता हूँ।

टर्न–9 / संगीता / 23.02.2026

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बगहा विधान सभा अंतर्गत पंचायत बीबी–बनकटवा के ग्राम करबोला–मझौवा काँटा एन0एच0–727 पार कर बसंतपुर होते हुए ग्राम–ढरवा तक सड़क निर्माण कराने हेतु सदन में सरकार से मांग करता हूं ।

श्री सियाराम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में कई विशिष्ट शिक्षकों द्वारा पूर्व में प्रशिक्षित नियोजित शिक्षक के रूप में समान पद पर एक से अधिक नियोजन इकाईयों में निरंतर सेवा दी गई है, उक्त विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निर्धारण प्रथम नियोजन इकाई में हुई नियुक्ति की तिथि से करने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरान्त समय बचने पर, अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल सूचनाएं ली जाएंगी ।

अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिए जायेंगे ।

<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य</u>

अध्यक्ष : श्री देवेशकान्त सिंह, सूचना पढ़ें ।

सर्वश्री देवेश कान्त सिंह, मंजीत कुमार सिंह एवं अन्य पांच सभासदों से प्राप्त <u>ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि विभाग) की ओर से वक्तव्य ।</u>

श्री देवेश कान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है । भारत सरकार के निर्देशानुसार उर्वरक कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 एवं एम0ओ0पी0 सीधे बिक्री केन्द्र (POS) तक पहुंचाए ताकि किसानों को एम0आर0पी0 पर खाद मिल सके । नियमानुसार परिवहन भाड़ा (FOR) खुदरा विक्रेताओं के खाते में जमा होना चाहिए ।

किन्तु वर्तमान में इस व्यवस्था की घोर अनदेखी हो रही है । आपूर्ति श्रृंखला में विसंगतियों के कारण किसानों को निर्धारित दर पर यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे खेती में भारी कठिनाई और किसानों में गहरा आक्रोश व्याप्त है । कम्पनियों की शिथिलता से कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है ।

अतः लोक महत्व के इस गंभीर विषय पर कंपनियों की जवाबदेही तय कर बिक्री केन्द्रों पर उर्वरकों का पारदर्शी वितरण एवं सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य में उर्वरक की सुचारू एवं निर्धारित मूल्य पर वितरण व्यवस्था के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनायी गयी है । किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु विभाग प्रतिबद्ध है । इस आलोक में सभी उर्वरक विनिर्माता, आपूर्तिकर्ता कंपनियों को सभी प्रकार के उर्वरक तथा यूरिया डी0ए0पी0, एन0पी0के0, एम0ओ0पी0, एस0एस0पी0 इत्यादि को बिक्री केन्द्र तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भारत सरकार द्वारा दी गई है ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध हो सके । विभाग द्वारा समय–समय पर कंपनियों के साथ बैठक कर विभागीय पत्रों के माध्यम से सभी उर्वरक को एक बिंदु से बिक्री केन्द्र तक पहुंचाने हेतु सभी उर्वरक विनिर्माता, आपूर्तिकर्ता कंपनियों को निर्देश दिया गया है । किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरतने पर संबंधित कंपनी के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रक आदेश–1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के तहत कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है । सभी उर्वरक विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ता कंपनियों को एक बिंदु से खुदरा उर्वरक बिक्री केन्द्र तक उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु कृषि निदेशालय के पत्रांक–129, दिनांक–22.01.2026, ज्ञापांक–61, दिनांक–13.01.2026, पत्रांक–1292, दिनांक–19.09.2022, पत्रांक–563, दिनांक–29.03.2022 एवं कार्यालय आदेश–2058, दिनांक–12.07.2021 द्वारा समय–समय पर निर्देश दिया गया है । किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर लगातार छापामारी कराया गया है । इस वर्ष 2025–26, 24.02.2026 तक में अनियमितता के विरूद्ध 104 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं कुल 419 उर्वरक प्रतिष्ठानों का उर्वरक प्राधिकार पत्र रद्द किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री देवेश कान्त सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, के माध्यम से सरकार ने उत्तर में स्वीकार किया है कि परिवहन भाड़ा खुदरा विक्रेताओं के खाते में जमा हो जाएगा । क्या सरकार के पास इसका कोई ब्यौरा है क्योंकि हमलोगों का जो अनुभव है, ये कंपनियां, जैसे मैं सिवान का रहने वाला हूं और गौरेयाकोठी विधान सभा में उर्वरक पहुंचाना है, अगर रैक छपरा में लगा है तो वैसे छोटे केंद्रों पर वह नहीं

पहुंच पाता है, अगर पहुंच पाता है तो समय पर उनके खाते में भाड़ा नहीं जमा होता है । वैसे ही कभी–कभी मोतिहारी में रैक लग जाता है तब भी नहीं पहुंच पाता है, ये तो दूरी का विषय है लेकिन दूसरा, सबसे बड़ा विषय है कि सरकार ने क्या कभी यह जांच की है कि वैसे विक्रेता या वैसी कंपनियां उनके खातों में पैसा ससमय जमा कर रही हैं, अगर ससमय जमा कर देंगी तो उनकी मजबूरी नहीं रह जाएगी लेकिन अभी वर्तमान स्थिति है और हमारा अनुभव यह कहता है कि सरकार इसको देखे, यह बहुत जरूरी है और इसकी डाटा सूची निकालें कि जो छोटे केंद्र हैं, जहां पर दुकानों में बिक्री केंद्रों को खाते में पैसा मिलना चाहिए वह मिल रहा है कि नहीं ? और सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस में 104 प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 419 पर कार्रवाई, तो ये कैसे केंद्र हैं, ये सारे केंद्र छोटे हैं, जहां अंतिम स्तर पर माल पहुंचता है लेकिन वहां माल न समय पर पहुंच रहा है, अगर पहुंच भी रहा है तो उनको इतना विलंब से भाड़ा मिल रहा है कि वे मजबूर हैं कि वे कुछ–न–कुछ पैसा चढ़ा कर बोलें.. .

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री देवेश कान्त सिंह : तो मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी से और यह विषय बड़ा गंभीर है, पूरे राज्य भर का मामला है कि इसको ध्यान दिया जाए और इसकी जांच करायी जाए।

अध्यक्ष : पूछ लीजिए आप भी ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राज्य के किसानों से संबंधित सवाल है और जिला में भी उर्वरक निगरानी समिति की हरदम बैठक होती है । माननीय सदस्य ने चर्चा की, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पत्र मेरे पास है महोदय । इस पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जितनी भी उर्वरक की कंपनियां हैं, जो बिहार में उर्वरक विभिन्न जिलों तक उनको पहुंचाना है, उनको कंपनियों को प्वाइंट ऑफ सेल तक पहुंचाना है और ये प्वाइंट ऑफ सेल तक कोई भी कंपनियां, यह उर्वरक नहीं पहुंचाती हैं, जिसके कारण लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये थोक खुदरा विक्रेता को देना पड़ता है, जिसके कारण निर्धारित 266 रुपया, जो उर्वरक का मूल्य निर्धारित है, उसके ऐवज में साढ़े तीन सौ से चार सौ रुपये उर्वरक बिहार के अंदर किसानों को प्राप्त होता है और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि भारत सरकार का यह मानक नहीं है कि यूरिया के साथ–साथ कंपनियां जो थोक विक्रेता हैं, उनको सल्फर, जिंक, नैनो यूरिया, नैनो डी0ए0पी0, हर्षबाइट इत्यादि जो टैग किए

जाते हैं, जो कंपनियां, जो विक्रेता, अगर लेते हैं ये सब आइटम, उनको अधिक मात्रा में यूरिया दी जाती है, कोई मानक नहीं है कि किसको कितनी यूरिया दी जानी है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : तो इन सब बातों की जांच, एक सदन की कमिटी बना दीजिए महोदय, और जांच करा दीजिए । यह केवल एफ0आई0आर0, थोक खुदरा विक्रेता से नहीं होना है, कंपनी की गलती के कारण बिहार में यूरिया अधिक दामों पर बिक रहा है, इसकी जांच कराकर सरकार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री रितुराज कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे पहले पूर्व में रैक प्वाइंट था अब वह गया जिले में हो गया है, उसकी वजह से भी ये सारी समस्याएं आ रही हैं तो जहां पहले पूर्व में रैंक प्वाइंट था क्या उसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है कि फिर से बनाया जाए ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है, इस चिन्ता से सरकार अवगत है और मैं पहले भी कृषि मंत्री था महोदय, मैं बता दूं 2025, चुनाव के पूर्व मैं सारी कंपनियों के साथ बैठा भी था और ये सारी शिकायतों पर गंभीरता से हमने बात भी किया था और यह कहते हुए कि आप भी कृषि मंत्री रहे हैं महोदय, यह कहते हुए मुझे खुशी है कि 2025 में बहुत हद तक जो उसका रेट तय था, 266 रुपये, महोदय, दो, चार, पांच रूपया भाड़ा का इधर–उधर हो सकता है लेकिन बहुत हद तक इस पर हुई थी...

...क्रमश...

टर्न–10 / यानपति / 23.02.2026

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, और इस बार यह शिकायत आई है, पार्टिकुलर किसी किसी कंपनी का, किसी जगह का उपलब्ध करायेंगे । सरकार पूरी गंभीरता के साथ लेकर यह सुनिश्चित करेगी कि 2025 में जिस तरह से चुनाव के पूर्व महोदय, कहीं हंगामा नहीं मचा था । सीमावर्ती क्षेत्र में दो–तीन पदाधिकारी पर कार्रवाई भी हुई थी और स्पेशल मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई गई थी । तो इस मामला को गंभीरता से सरकार लेगी और निश्चित तौर पर ये जो कह रहे हैं सरकार एक बार फिर से इसपर बैठक करके इसके समाधान का प्रयास करेगी ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने जो बात उठाई है यह भारत सरकार के जो गाईडलाइन्स हैं जिसका कोई भी फर्टिलाइजर कंपनी उस गाईडलाईन को बिहार के अंदर नहीं मान रहा है और जो प्वांइट ऑफ सेल्स है, उनको यूरिया पहुंचानी है, अन्य सामग्री पहुंचानी है, वह कंपनियों के द्वारा नहीं पहुंचाई जा रही है । यही कारण है कि जिसके कारण जो 266 रुपया निर्धारित है उसके एवज में 350–400 रुपया में यूरिया मिल रहा है और जो अपने प्रोडक्ट को कंपनियां टैग कर रही हैं वह भी भारत सरकार के मानक के अनुरूप नहीं है । तो इस दो बिंदु पर सरकार क्या विधान सभा की समिति से जांच कराकर उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी या नहीं । महोदय, उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घटित हुईं । कृषि पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई महोदय तो बिहार में क्यों नहीं हो सकती है महोदय ।

अध्यक्ष : बिहार में कार्रवाई होगी, सरकार ने कहा है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हमने तो कहा है कि समीक्षा करेगी सरकार और महोदय, ये जो बता रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा कंपनी ने भी स्वीकारा है, बीच में कहां गड़बड़ी है, सरकार सक्षम है, एजेंसियों को इसको सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की जायेगी महोदय ।

अध्यक्ष : समीक्षा भी होगी, कार्रवाई भी होगी । सरकार ने साफ कहा है कि समीक्षा की जायेगी । दोषी पाये जाने पर कार्रवाई भी की जायेगी ।

श्री देवेशकान्त सिंह : महोदय, इसमें मेरा आग्रह यह है कि अभी तत्काल सदन सत्र चल रहा है, आज का आज डी0ए0ओ0 को ऑर्डर किया जाय कि किस–किस कंपनियों ने अपने पीओएस को, बिक्री केंद्र को विगत एक महीने में उनका ट्रांसपोर्ट का भाड़ा उनके खाता में जमा कराया है या नहीं । यह तो कागज की चीज है, डाटा का चीज है, यह तो उपलब्ध हो सकता है । डी0ए0ओ0 के माध्यम से पता चल जायेगा कि कहां पेमेंट हो रहा है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, कर ली जायेगी । माननीय सदस्य से माननीय मंत्री जी उसका डीटेल उपलब्ध करायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार जी की ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ी गई है । माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ।

सर्वश्री प्रमोद कुमार, सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य अठाईस सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (योजना एवं विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, पूर्व में योजना एवं विकास विभाग के संकल्प 3924 दिनांक–10.08.2018 के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रति विधान मंडल सदस्य प्रतिवर्ष तीन करोड़ रुपये की सीमा तक योजना की अनुशंसा करने का प्रावधान था । जिसे बढ़ाकर योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या–8841, दिनांक–14.06.2023 के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 से प्रति विधान मंडल सदस्य प्रतिवर्ष चार करोड़ रुपये सीमा तक योजना की अनुशंसा करने का प्रावधान है । वर्तमान में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की राशि बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य, आप स्वयं महोदय सीनियर माननीय सदस्य हैं । माननीय मंत्री महोदय हम सबों के अभिभावक हैं और वर्तमान स्थिति क्या है कि जो 1 करोड़ रुपया है उसमें से 18 परसेंट जी0एस0टी0, 6 परसेंट लॉयलिटी, 2 परसेंट टी0डी0एस0 यानी कि लगभग 25–26 परसेंट महोदय सरकार के खजाना में चला जाता है । 1 करोड़ से 26 परसेंट राशि, इसपर विचार किया जाय महोदय । मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं और महोदय अब चार करोड़ है तो समझ लीजिए कि 1 करोड़ चला गया तो तीन करोड़ पर आ गए और महोदय पड़ोसी राज्य जो झारखंड है, वहां पांच करोड़ है केरल में 5 करोड़ है, मध्य प्रदेश में 5 करोड़ है, राजस्थान में 5 करोड़ है, तेलंगाना, दक्षिण भारत 5 करोड़ है, उत्तर प्रदेश महोदय पड़ोसी राज्य है 5 करोड़ है, उत्तराखंड छोटा राज्य है 5 करोड़ है तो महोदय जब छोटा–छोटा राज्य, अपना पड़ोसी राज्य 5 करोड़ किया है तो हमलोग, बिहार बड़ा राज्य है तो बजट भी बड़ा है, आकार भी बड़ा है और छड़, सीमेन्ट, बालू का महोदय दाम भी बढ़ा है । महोदय, इसपर विचार किया जाय । दूसरा सवाल कि 15 लाख रुपया का माननीय विधायक लोग का काम करने का है, तो महोदय इस 15 लाख में 25 परसेंट जोड़ लीजिए तो कितना का काम होगा और मजदूरी भी बढ़ गया है तो इसको भी महोदय, कम से कम 25 लाख किया जाय ताकि सभी माननीय सदस्य, स्वयं मंत्री महोदय और आप भी इसको देख रहे हैं । महोदय, सबलोगों से पूछ लिया जाय ।

(इस अवसर पर सदन के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जायं–बैठ जायं । प्लीज बैठिए ।

श्री प्रमोद कुमार : पूछ लिया जाय महोदय । वोटिंग करा लिया जाय महोदय ।

अध्यक्ष : बब्लू जी बोल रहे हैं, आपलोग बैठ जाइये । सुनील जी, एक–एक करके । अरूण जी, देवेश बाबू बैठिए । प्लीज बैठिए । कृपया बैठ जायं । भगवान बाबू । बातों को रखिए, रखने में हर्ज नहीं है ।

(इस अवसर पर सदन के सभी माननीय सदस्यगणों ने अपना–अपना स्थान ग्रहण किया)

श्री नीरज कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से पूरे सदन का आग्रह इसलिए भी है कि माननीय मंत्री जी पिछले 35 साल से इस सदन के सदस्य हैं । सबसे सीनियर सदस्य हैं, गार्जियन हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी में हम समझते हैं कि छोटी सी कमी ये है कि माननीय मंत्री जी लगातार मंत्री रहे हैं, विधायक की समस्या को, कठिनाई को नहीं समझ सकते हैं । हरेक साल जब हमलोगों का बजट बढ़ता है तो विधायक निधि में माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र विकास निधि है इसको बढ़ाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी कि सरकार काम करती है और माननीय सदस्य की इच्छा से काम होता है । सब तो विकास का काम है । हम भी तो विकास के काम को फोकस करते हैं । माननीय मंत्री जी हैं, कहीं भी कुछ बोल देंगे तो वहां काम होगा लेकिन सदस्य को तो अपना विधान सभा है, वहां अगर अपनी इच्छा से थोड़ा ज्यादा काम हो जाता है वह भी सरकार के फंड से काम होना है, अलग से कोई काम नहीं होना है और जब दूसरे स्टेट में बढ़ा हुआ है 5–5 करोड़ कई स्टेट में है और देश की राजधानी महोदय दिल्ली में 10 करोड़ से 15 करोड़ बढ़ा दिया गया है तो कम से कम बिहार गरीब राज्य है, यहां तो कम से कम आधा भी किया जाय ।

डॉ0 सुनील कुमार : महोदय, बिहार भारत में सबसे तेज प्रगति करनेवाला राज्य है और 23 के बाद जो मैटेरियल का जो दामों में बढ़ोत्तरी हुई है, डेढ़ गुना से ज्यादा हो गया है । अभी जो चार करोड़ रुपया मिलता है किसी विधायक के क्षेत्र में कम से कम 40 पंचायत, अगर शहर है तो 40 वार्ड और 15–16 पंचायत पर 25 योजनाएं अनुशंसा करने में पैसे खत्म हो जाते हैं, तो हम भी विकास करेंगे, हमलोग कोई साड़ी बांटनेवाले नहीं हैं, हम तो बिहार का सहयोग ही करेंगे विकास करके, इसीलिए सरकार से आग्रह है कि जिस तरह आप विकास के गति को बढ़ा रहे हैं, आप आसमान को छू रहे हैं तो हमलोगों को भी विकास करने दीजिए, अपने क्षेत्र का और उसका ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । बोल दीजिए, सरकार का क्या विचार है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सांसद लोगों का अगर बढ़ेगा तो हम भी विचार करेंगे ।

(इस अवसर पर सदन के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सांसदों का बढ़ेगा तो बढ़ायेंगे ।

(व्यवधान जारी)

आपलोग कृपया बैठ जायं । आपकी भावनाओं से सरकार अवगत हो चुकी है आग्रह है बैठ जायं ।

(व्यवधान जारी)

कृपया बैठ जायं । माननीय मंत्री जी आपकी भावनाओं से सहमत हैं, निश्चित विचार करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

टर्न–11 / मुकुल / 23.02.2026

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति–शांति, कृपया बैठ जाइए । प्लीज, आप सबों से आग्रह है कि बैठ जाएं।

(व्यवधान जारी)

मेरा सदस्यों से आग्रह है कि कृपया बैठ जाएं । पूरे सदन की भावना है, कृपया पहले बैठ जाइए । प्लीज, बैठ जाइये । माननीय डिप्टी सी0एम0 कुछ कह रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले आप सभी लोग बैठ जाएं ।

अध्यक्ष : पहले आप सभी लोग सुनिए । सरकार कहना चाह रही है, उसे सुन तो लीजिए । आप ही की बात कह रही है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, सदन की गंभीरता को देखते हुए माननीय मंत्री जी विचार करेंगे और उन्होंने कहा है कि हम इसको देखेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री उपेन्द्र प्रसाद जी, अपनी सूचना को पढ़ें । माननीय सदस्यगण, सरकार ने कहा है कि विचार करेंगे अब आप सभी लोग सरकार को मौका दीजिए । सरकार ने कहा है, डिप्टी सी0एम0 साहब ने कहा है कि सरकार इसपर विचार करेगी । कृपया, आप सभी लोग बैठ जाइए । श्री उपेन्द्र प्रसाद ।

(व्यवधान जारी)

प्लीज, बैठ जाइए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय सदस्य की भावनाओं से माननीय मंत्री जी और हमलोग, सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करायेंगे ।

अध्यक्ष : विश्वास कीजिए । उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, विजय बाबू ने विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी । सरकार विचार करेगी, प्लीज, बैठ जाइये । श्री उपेन्द्र प्रसाद ।

(व्यवधान जारी)

डिप्टी सी0एम0 साहब ने कहा है कि माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए सरकार इस पर विचार करेगी, सरकार का आश्वासन हो गया है, बैठ जाएं । प्रमोद जी, माधव जी बैठ जाइए ।

(व्यवधान जारी)

सारी बात आ गयी, मेरा आग्रह है, सरकार ने कहा है कि माननीय सदस्यों की भावना से हम अवगत हैं सरकार इस पर विचार करेगी, बैठ जाइये । डिप्टी सी0एम0 साहब ने कहा है कि आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी, अब आप बैठ जाएं, सरकार का आश्वासन हो गया है हमलोग इसको देखेंगे ।

(व्यवधान जारी)

श्री उपेन्द्र प्रसाद, पढ़िए, बैठ जाइए । सुनील जी, प्रमोद जी बैठ जाइए । मेरा आग्रह मानिए, सरकार ने कहा है कि आप सभी की भावनाओं का सम्मान सरकार ने किया है, विजय बाबू ने कहा है और सरकार विचार करेगी । उपेन्द्र बाबू जी आप पढ़िए । श्री उपेन्द्र प्रसाद जी, आप अपनी सूचना को पढ़ें ।

(व्यवधान जारी)

श्री समीद्र वर्मा : महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जनता अपने विधायकों के सामने ही सबसे ज्यादा मांग रखती है.....

अध्यक्ष : प्लीज, सब लोग बैठ जाइए । मिथिलेश जी, भगवान बाबू बैठिए ।

श्री सम्रीद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हम अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो जनता सबसे ज्यादा अपने विधायकों से ही मांग करती है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सही है । सरकार ने कहा है कि हम विचार करेंगे, अब आप बैठ जाइये । श्री उपेन्द्र प्रसाद जी अपनी सूचना को पढ़िए । श्री महेश्वर हजारी, अपनी सूचना को पढ़ें।

(व्यवधान जारी)

प्लीज, बैठ जाइए सारी बातें आ गयी हैं । सुनील जी, प्रमोद जी बैठ जाइए, मेरी बात मानिए हम भी देखेंगे इस चीज को, जरूर, जरूर ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : हम सभी माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि बैठ जाएं, आपकी भावनाओं से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा और माननीय मंत्री जी भी सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करेंगे । अब आपलोग बैठ जाइए ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री महेश्वर हजारी जी । आप सभी बैठ जाइए, महेश्वर जी आप अपनी सूचना को पढ़िए । महेश्वर हजारी जी, पढ़िए । प्रमोद जी, बैठ जाइए, सचिन जी, सुनील बाबू बैठिए । सब बातें रिकॉर्ड में आ गयी हैं ।

(व्यवधान जारी)

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री महेश्वर हजारी, सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य आठ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री महेश्वर हजारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला में स्थित रामेश्वर जूट मिल दिनांक–01.11.2025 से बंद पड़ा हुआ है ।

अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठ जाइए ।

श्री महेश्वर हजारी : मिल बंद हो जाने के कारण हजारों मजदूर भुखमरी के कगार पर खड़े हो गए हैं । मिल मालिक के मजदूर विरोधी रवैया के कारण इस मिल में मजदूरों की संख्या 5000 से घटकर मात्र 800 रह गयी है । 4200 मजदूर जो रिटायर या मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनका पी0एफ0 का करोड़ों रुपया मिल मालिक के यहां बकाया है

अध्यक्ष : कृपया आप सभी लोग बैठ जाएं ।

(व्यवधान जारी)

श्री महेश्वर हजारी : तथा उनके स्थान पर नए मजदूरों की नियुक्ति नहीं की जा रही है । मिल मालिक द्वारा इस मिल को चलाने के लिए बैंक से.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पढ़िए ।

श्री महेश्वर हजारी : करोड़ों रुपया का कर्ज लिया गया है, लेकिन इस जूट मिल पर एक रुपया भी खर्चा न करके पैसे को अन्य मदों में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिस कारण यह जूट मिल चालू नहीं हो पा रहा है । मिल मालिक द्वारा इस मिल के मशीन का अधिकांश पार्टपुर्जा भी खोल कर बेच दिया गया है ।

अतएव इस मिल को जल्द से जल्द चालू कराया जाए ताकि मजदूरों को रोजगार मिले तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, स्थानांतरित श्रम संसाधन विभाग में कर दिया गया है, इसके लिए समय चाहिए ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री उपेन्द्र प्रसाद, पढ़िए । बैठ जाइए, डिप्टी सी0एम0 साहब ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसका रास्ता निकाला जायेगा, विश्वास कीजिए अब आपलोग बैठिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री उपेन्द्र प्रसाद जी आप पढ़िए ।

सर्वश्री उपेन्द्र प्रसाद, विनय कुमार चौधरी एवं अन्य आठ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण चिकित्सकों की बैठक में 'स्वास्थ्य समागम' के तत्वाधान में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुई थी, जिसमें राज्य सरकार ने 04 लाख ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशिक्षित करवा कर सरकारी सेवा में लेने की बात कही गई थी । पचास हजार ग्रामीण चिकित्सकों ने एन0आई0ओ0एस0 पाठ्यक्रम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक वर्षीय प्रशिक्षण लेकर विधिवत थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए । कोविड महामारी के समय प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों ने हजारों मरीजों को प्राथमिक उपचार कर जान बचाया था । आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण बापू सभागार, पटना में हुआ था ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सब लोग बैठिए । मेरा आग्रह है कि बैठ जाइए, प्लीज ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : जिसमें पैंसठ सौ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों ने प्रशिक्षण लिया । हाल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा की गयी है कि सभी गांवों में वृद्ध–असहाय लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक उपचार हेतु स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त होंगे ।

अतः सरकार सभी गांवों में वृद्ध–असहाय लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक उपचार, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की नियुक्ति करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले तो सभी माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं ।

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाएं, बैठ जाएं प्लीज। हम भी आप सभी से आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि बैठ जाइए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : हाउस ऑर्डर में आ जाए महोदय । बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपका सुझाव अच्छा है ।

अध्यक्ष : कृपया, मंत्री जी की बात सुन लीजिए, सरकार के संज्ञान में सारी बातें आ गयी हैं । शांति–शांति ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए समय चाहिए, माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए सरकार इसको गंभीरता से ली है और सरकार इस पर विचार करेगी, देखेगी, ठीक है महोदय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जाएंगे । श्रीमती सावित्री देवी, पढ़िए ।

(व्यवधान जारी)

बात हो गयी, आप सभी लोग बैठ जाइए ।

टर्न–12 / सुरज / 23.02.2026

<u>शून्यकाल</u>

श्रीमती सावित्री देवी : अध्यक्ष महोदय, जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड चकाई के ग्राम बींझा, चिहरा, आदि एवं सोनो प्रखंड के रजौन, हरिहरपुर आदि दर्जनों ग्राम / वार्डों में नल का जल आपूर्ति बंद होने के कारण सेवंदकों एवं अभियंताओं पर कार्रवाई करते हुए नल का जल आपूर्ति कराने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं ।

श्रीमती संगीता देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान कटिहार–बलरामपुर मुख्य सड़क मार्ग पर बारसोई नगर पंचायत स्थित रेल गेट संख्या एस0के0–369 / ई0 की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं यहां छोटे दुकानदार अपना रोजगार चला रहे हैं ।

अतः रोजगार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आर0ओ0बी0 पिलर का निर्माण कराने की मांग करती हूं ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखंड के केश्हकर नहीं में दधपी और पिपरौरा के पास स्थित चेकडैम जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, उसमें गाद भरे रहने के कारण वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता नगण्य है । सैकड़ों गांव के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिये चेकडैम का पुनर्निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री उदय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, गयाजी के डोभी प्रखंड में ए0के0आई0सी0 परियोजना में हजारों एकड़ भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है लेकिन अब तक मुआवजा राशि भुगतान नहीं किए जाने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना

पड़ रहा है । अधिग्रहण भूमि के बदले मुआवजा राशि दिलाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, बेलसंड में मनुषमारा नदी के भोरहा से बसौल पुल के बीच भारी जलकुंभी जमा होने से प्रवाह रूक गया है । इससे 1000 एकड़ उपजाऊ भूमि जलमग्न है, जिससे किसानों का कृषि कार्य पूरी तरह बाधित है । सरकार से नदी की सफाई और जल निकासी की मांग करता हूं ।

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिलान्तर्गत नौहट्टा बस स्टैंड से बिहरा–खोनहा होते हुए सहरसा तक जाने वाली सिंगल लेन सड़क पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती है । यातायात का अत्यधिक दबाव एवं संकीर्ण मार्ग दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है ।

अतः सरकार से उक्त सड़क के शीघ्र चौड़ीकरण कराने की मांग करता हूं ।

श्री प्रकाश चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, तरारी पंचायत के कुछ हिस्सों को दाउदनगर नगर परिषद में शामिल करने हेतु मंत्रिमंडल स्वीकृति के पश्चात अधिसूचना के बावजूद अनुवर्ती कार्य रूका हुआ है, सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर विस्तारित क्षेत्र को नगर परिषद की सुविधा प्रदान करने की सरकार से अतिशीघ्र मांग करता हूं ।

श्री राकेश रंजन : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत बिहियां प्रखंड के कमरियांव पंचायत में जादोपुर गांव के दलित टोला में जाने का रास्ता नहीं है । जमीन निजी होने के कारण सड़क निर्माण नहीं होता है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि जमीन अधिग्रहण कर दलित टोला से पोखरा नहर तक सड़क निर्माण कराया जाए ।

श्रीमती श्वेता गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिले में अधिकारियों की कमी से प्रशासनिक कार्य प्रभावित है । भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं के बावजूद स्थायी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी और डी0सी0एल0आर0 के पद रिक्त हैं । इससे जनसेवाएं बाधित हो रही है तथा विकास योजनाएं प्रभावित है । सरकार से शीघ्र सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग करती हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा सदर अनुमंडल स्थापना के डेढ़ शताब्दी से अधिक हो जाने के बाद भी कार्यालय का स्वयं का स्वतंत्र भवन नहीं है, जिससे आमजन को छोटे–छोटे कार्यो के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है । सदन के माध्यम से उक्त अनुमंडल कार्यालय का स्वतंत्र भवन निर्माण की मांग करता हूं ।

श्रीमती अश्वमेध देवी : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत स्थित पटेल मैदान वर्षों से उपेक्षित है । खेल, सांस्कृतिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों हेतु इसका आधुनिकीकरण आवश्यक है । क्या सरकार पटेल मैदान में प्रकाश, शेड, वाकिंग ट्रैक, शौचालय,

पेयजल, जल निकासी व बैठने की व्यवस्था विकसित करने की योजना शीघ्र प्रारंभ करेगी ?

श्री बबलू कुमार : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया में गैर मजरूआ खास, बकाश्त एवं टोपो लैंड के राजस्व रसीद निर्गत करने की मांग सरकार से करता हूं, जिससे कि किसानों को विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके ।

श्री रोहित पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर विधान सभा सहित पूरे बिहार में संचालित बूचड़खानों से उठती दुर्गंध एवं फैलती बीमारियों ने स्थानीय लोगों का जीवन कष्टमय बना दिया है । जनस्वास्थ्य और स्वच्छता की रक्षा हेतु इनकी अनुमति तत्काल निरस्त की जाए । सरकार से मांग है कि बूचड़खानों को बंद करने हेतु ठोस कार्रवाई की जाए ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के ताजपुर निवासी बिहार के गौरव वैभव सूर्यवंशी अपनी प्रतिभा से पूरे देश का नाम रौशन कर रहे हैं । उनकी उपलब्धियों से बिहार एवं ताजपुर का मान–सम्मान बढ़ा है । इनके होमग्राउंड उच्च विद्यालय ताजपुर में शीघ्र आधुनिक क्रिकेट ग्राउंड निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, रीगा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत रीगा, सुप्पी एवं बैरगनिया प्रखंडों के दर्जनों गांवों में बाढ़ एवं वर्षा से महीनों जलजमाव रहता है । किसान फसल उत्पादन नहीं कर पाते, जिससे गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न होता है ।

अतः इन प्रखंडों में जलजमाव समस्या के स्थायी समाधान हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी पंचायतों में श्मशान घाटों के लिये भूमि कर्णांकित नहीं होने के कारण हिंदु परिवारों को नदियों, सड़कों या निजी खेतों में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है ।

अतः सरकार से राज्य के सभी पंचायतों में चहारदीवारी एवं बुनियादी सुविधायुक्त श्मशान घाट कर्णांकित करने की मांग करता हूं ।

श्री रितुराज कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला अंतर्गत हुलासगंज बाईपास अत्यधिक संकीर्ण होने के कारण भारी यातायात दबाव, बार–बार जाम एवं दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है ।

अतः हुलासगंज बाईपास के चौड़ीकरण की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया जी जिले के कोच प्रखंड में उसास देवरा बाजार से कोच थाना की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है । यह बाजार क्षेत्र काफी व्यस्त है ।

जहां प्रत्येक दिन हजारों लोग अन्य कार्य से आते जाते हैं । एक नई पुलिस चौकी अत्यंत आवश्यक है । मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, 2012–13 में पात्रता परीक्षा के आधार पर मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयं सेवकों का पैनल तैयार किया गया, उनसे सांख्यिकी, गणना और सर्वेक्षण कार्य लिये गये 2014 से सांख्यिकी स्वयं सेवकों को बगैर कारण बताए बेरोजगार बना दिया गया । हम सरकार से इनको पुनः बहाल करने की मांग करते हैं ।

श्री शुभानंद मुकेश : भागलपुर जिलान्तर्गत घोघा से सन्हौला होते हुए पंजवारा तक जानेवाली सड़क में सन्हौला से करहरिया के बीच लगातार भीषण दुर्घटनाएं हो रही हैं । स्पीडब्रेकर नहीं होने से वाहनों की गति अनियंत्रित रहती है ।

अतः घटना स्थल चिन्हित कर मैं स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष : शेष शून्यकाल की सूचनाएं पढी हुई मानी जाती है । सदन की सहमति एवं लिखित उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेज दिये जाए ।

पढ़ी हुई मानी गयी शेष शून्यकाल की सूचनाएँ

श्री शंकर प्रसाद : मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत सरैया में तिरहुत तटबंध पर रेवा से गौरिगामा जाने वाली सड़क काफी जर्जर है। सड़क की स्थिति अत्यंत खराब होने के कारण आम जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है।

अतः तिरहुत तटबंध पर उक्त सड़क का अविलंब पक्कीकरण कराने की मैं सरकार से माग करता हूँ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के हरिओ पंचायत अतंर्गत कहारपुर गाँव के ग्रामीण विगत पाँच वर्षों से कोशी नदी के कटाव से विस्थापित होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

अतः सरकार से कहारपुर गाँव को बचाने के लिए कटाव निरोधी कार्य एवं विस्थपित हुए लोगों के पुनर्वास की मांग करता हूँ।

श्री मंजीत कुमार : गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखण्ड के रूपनछाप शिव मंदिर के बगल में 1991 ई. में निर्मित पुल नदी के कटाव में विलीन होने से आवागमन में लोगों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिये रूपनछाप में उसी स्थल पर नये पुल निर्माण की माँग सरकार से करता हूँ।

श्री अभिषेक रंजन : पश्चिम चंपारण के चनपटिया प्रखंड के अवरैया, चरगहा एवं भैसही पंचायत में बंदरों की अत्यधिक संख्या से जनजीवन भयग्रस्त है। बंदर लोगों को

काट रहे हैं, फसलें नष्ट कर रहे हैं तथा घरों में घुसकर नुकसान पहुँचा रहे हैं। वन विभाग को सूचना के बावजूद अब तक रेस्क्यू नहीं हुआ।

श्रीमती जयोति देवी : गयाजी जिला अन्तर्गत प्रखण्ड मोहनपुर के पंचायत–केवला तथा पंचायत अम्बातरी में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसके निर्माण में मानक का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।

अतः समुचित जाँच कर संवेदक तथा कनीय अभियंता पर कार्रवाई हेतु सदन से माँग करती हूँ।

श्री दामोदर रावत : महोदय, जमुई जिलांतर्गत सिमुलतला स्थित सैकड़ों कोठियां बंगाल के अतिविशिष्ट व्यक्तियों के स्वास्थ्य लाभ का केंद्र रहा है । 19वीं सदी में स्वामी विवेकानन्द कई बार स्वास्थ्य लाभ हेतु सिमुलतला में ठहरे हैं । अनेकों पर्यटन स्थल होने की दृष्टि से सिमुलतला को पर्यटक स्थल घोषित करने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री भरत बिन्द : महोदय, कैमूर जिलांतर्गत कोई कृषि महाविद्यालय नहीं होने के कारण छात्र–छात्राओं को 100 कि0मी0 दूर उत्तर प्रदेश में जाकर पठन–पाठन करना पड़ता है, जिससे समय तथा अर्थ दोनों की हानि होती है ।

अतः उक्त जगह पर कृषि महाविद्यालय के निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री राजेश कुमार मंडल : महोदय, दरभंगा जिलांतर्गत सादर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय, दुलारपुर, छोटाइपट्टी, विजुली, ढ़ीकाटोल, भालपट्टी, लोआम माझीगामा, सोनकी, देवारी, मुहम्मदपूरपाता, शाहवाजपुर भवनहीन होने के कारण दूसरे विद्यालय में चलते हैं जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाइयां होती हैं ।

अतः भवन निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय, राज्यकर्मी के तौर पर नियुक्त अनुकंपा आश्रितों को नियत वेतन दिए जाने के विरोध में हम अनुकंपा आश्रित विद्यालय लिपिकों, परिचारिकों को अन्य राज्यकर्मियों की भांति मूल वेतन एवं अन्य सुविधाएं दिए जाने के लिए सदन में मांग रखते हैं ।

श्री इन्द्रदेव सिंह : महोदय, सिवान जिलांतर्गत कृषि में आधुनिक तकनीक एवं उन्नत बीज को बढ़ावा देने हेतु आज तक कोई शिक्षण संस्थान नहीं है । इससे जिले के विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा हेतु अन्यत्र जगहों पर जाना पड़ता है ।

अतः मैं बड़हरिया विधान सभा में कृषि महाविद्याल स्थापना की मांग करता हूं ।

श्रीमती संगीता कुमारी : महोदय, पंचायती राज विभाग में कार्यरत ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय में वृद्धि, सेवा विस्तार 60 वर्ष उम्र तक एवं नियमित बहाली की मांग करती हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : महोदय, समस्तीपुर जिले में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं, विशेषकर गोलीबारी की घटनाओं से आम नागरिकों में भय का वातावरण व्याप्त है । अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है तथा पुलिस प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव है ।

अतः विधि–व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए रोसड़ा को पुलिस जिला घोषित करने की मांग करता हूं ।

श्री सुरेंद्र प्रसाद : महोदय, पश्चिम चम्पारण जिलांतर्गत चार प्रखंड भितहां, ठकराहा, मधुबनी, पिपरासी कृषि क्षेत्र है और फुस का घर अधिक होने के कारण भीषण अगलगी की घटना किसानों की कमाई हुई घन और फसलें जलकर राख हो जाती है । मैं सरकार से चारों प्रखंडों में बड़े अग्निशामक यंत्रों की मांग करता हूं ।

श्रीमती गायत्री देवी : सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत श्रीकेश्वर मुखलाल उच्च विद्यालय, भिसवा बाजार जिसमें चहारदीवारी नहीं होने से मवेशी घूमते रहते हैं जिससे पठन–पाठन में कठिनाई होती है।

अतः श्रीकेश्वर मुखलाल उच्च विद्यालय भीसवा का चारदिवारी निर्माण कराने की मांग सरकार से करती हूं।

श्री भीषम प्रताप : सिवान जिलान्तर्गत मैरवा प्रखंड में तकनीकी और व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देने हेतु कोई संस्थान नहीं है। इससे यहाँ के विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु अन्यत्र जगहों पर जाना पड़ता है।

अतः मैं मैरवा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की माँग करता हूँ।

श्री नागेन्द्र राउत : सीतामढ़ी जिला अंतर्गत नगर पंचायत सुरसंड में जल निकासी प्रबंधन नहीं होने के कारण वार्ड नंबर 1 एवं 2 में 12 महीनों पानी से होकर गुजरने के लिए नागरिक मजबूर हैं। जनहित में नगर पंचायत सुरसंड में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की योजना हेतु सरकार से मांग करता हूं।

सुश्री मैथिली ठाकुर : दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा के प्रखंड तारडीह की स्थापना के 25 साल बीत जाने एवं पृथक–पृथक भाग में संचालित होने से पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यान्वन एवं आवासीय व्यवस्था में असुविधा हो रही है जिस कारण तारडीह में प्रखंड मुख्यालय स्थापना हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ।

श्री राम चन्द्र सदा : बिहार राज्य अन्तर्गत प्रखण्डों में षष्टम् वित्त के डोंगल में ठण्क्ण्८ और ठण्च्ण्त्ण्८ शामिल हैं। इसमें राज्य सरकार से मॉग की जाती है कि प्रखण्ड प्रमुख को षष्टम वित्त् के डोंगल में शामिल किया जाय।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : पूर्वी चंपारण जिला के तेतरिया में संचालित राजेपुर थाना मेहसी प्रखंड के रानीपट्टी में शिफ्ट होने जा रहा है । तेतरिया बाजार, अंचल एवं

प्रखंड के सुरक्षा की द्वष्टि से तेतरिया में पुलिस आउट पोस्ट की स्थापना कराने की मांग सरकार से करता हूं।

श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी : नोखा नासरीगंज पथ सुरेन्द्र साह के घर के पास से सौन्दिक उच्च विद्यालय होते हुए बक्सबाबा स्थान काव नदी बाहा तक जलनिकासी की व्यवस्था नहीं है । बाहा जाम रहने से गंदा पानी जमा रहता है और आवागमन बाधित होता है । सफाई एवं पक्का नाला निर्माण कराने की मांग करता हूँ।

श्री महेन्द्र राम : वैशाली जिला अन्तर्गत देसरी प्रखंड के बिलट चौक से हाजीपुर की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर है, इसके बीच कोई भी अतिरिक्त अस्पताल नहीं है । बिलट चौक पर गंडक प्रोजेक्ट की जमीन भी उपलब्ध है जिसपर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराने की मांग करता हूं।

श्रीमती मनोरमा देवी : बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से प्रवाहित फल्गु नदी में गनुबिगहा के पास बियर बांध नहीं रहने के कारण 30 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई से वंचित हैं।

अतः उक्त कृषि भूमि की सिंचाई हेतु

फल्गु नदी पर गनुबिगहा के पास बियर बांध निर्माण कराने की मांग करती हूं।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02:00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न–13 / धिरेन्द्र / 23.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बनें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, कोई बोलेंगे ? महोदय, दिनांक–02 फरवरी, 2026 को महामहिम राज्यपाल का....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, एक मिनट । यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो वे बोल सकते हैं । कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

अब, स्वीकृति के प्रस्ताव पर मैं चाहूंगा कि हर दल से कोई न कोई सदस्य अगर बोलना चाहते हैं तो वे बोल सकते हैं ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत जी, बोलिये । इसलिए तो मैंने मौका दिया है।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, चूंकि बिहार की लगभग 13 करोड़ आबादी है और 13 करोड़ आबादी की बात, उनकी कमाई से टैक्स का पैसा सरकार लेती है, उस पर मैं कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, हमलोगों के अभिभावक हैं वित्त मंत्री जी । वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान, इस पर हम बिहार को ले जा रहे हैं । महोदय, बिहार में ज्ञान की यह स्थिति है, अगर आप स्कूल में चले जायेंगे और पांचवी कक्षा के छात्र को अगर आप कहेंगे कि दूसरी कक्षा की किताब पढ़े तो वह नहीं पढ़ पाता है । महोदय, इसकी वजह क्या है ? आज भी 20 वर्षों से सरकार है, यहां भी, केन्द्र में भी । महोदय, 90 प्रतिशत बिहार के ऐसे दलितों की बस्ती हैं, जहां पर प्राईमरी स्कूल का निर्माण नहीं हो सका है । महोदय, आप देखेंगे कि स्कूल के हालात जो हैं, एक ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर बच्चों को प्राईमरी स्कूल में बेंच पर बैठ कर वे पढ़ सकें, ब्लैक बोर्ड हो, शौचालय हो, महोदय, दो–दो कमरा में 1200–1300 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं । महोदय, अगर दो कमरे में बिहार में 1200 बच्चे पढ़ सकते हैं तो सरकार ने कहा कि हम ज्ञान की बात करते हैं तो यह समझा जा सकता है कि अगर एक स्कूल में दो कमरे में बिहार में हमारे बेटे और बेटियां, 1200–1300 बच्चे अगर दो कमरे में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तो ज्ञान की परिभाषा कितनी अच्छी, वित्त मंत्री जी ने कहा, यह पूरा बिहार ने देखा, महोदय। अब विज्ञान, महोदय, बिहार राज्य के टॉप 10 में से राज्य का कोई भी विद्यालय शामिल नहीं है । यह हमारे विज्ञान का आलम है । 22 वर्षों में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला, भारत सरकार को देना चाहिए था । महोदय, अब ईमान जो है, एक ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार भ्रष्टतम सरकार, इस एजेंसी ने माना है और इसकी तुलना अफ्रीका से की है । महोदय, एक गाना है अरमान, माननीय मंत्री हमारे अभिभावक ने कहा था कि दिल के अरमां आसूओं में बह गए । महोदय, पांच करोड़ से अधिक लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बिहार से पलायन कर रहे हैं, हर साल यहां के बच्चे, ड्रॉप आउट सभी लोगों ने देखा ही है, 12वीं पास करने के बाद, मैट्रिक पास करने के बाद बड़े पैमाने पर बिहार के बच्चे बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं । महोदय, कोविड का एक समय था, सरकार ने जो अपना आंकड़ा छिपाया था, जब कोविड हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंग्लोर से छात्र पैदल बिहार आएं और महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सम्मान, अभी होली आ रहा है, हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व, जब आप ट्रेन में देखियेगा, बाथरूम में बैठकर, ट्रेन के छत पर बैठकर जब सब बिहारी

वापस बिहार आयेंगे तो शायद दुनिया में बिहार से बड़ा सम्मान, उस स्थिति को देख कर हमको नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा राज्य होगा । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि, अभी देख रहे हैं, पहली बार हमलोगों ने देखा 20 वर्षों में कि जो ट्रेजरी है वह एक महीना से बंद है, अब क्यों बंद है यह तो वित्त मंत्री जी अपने अभिभाषण में बतायेंगे । महोदय, राज्य में जितनी योजनाएं चल रही थीं, सारी योजनाओं का सरकार ने पैसा रोक दिया । क्यों रोक दिया ? आपके पास पैसा नहीं है । डबल इंजन की आपकी सरकार है और आप जनवरी–फरवरी से बिहार के जो तमाम कंस्ट्रक्शन वाले कंपनी हैं जो सड़क बनायी, जो पुल–पुलिया बनायी, जो बिल्डिंग बनायी, जितना लोगों ने जो काम किया है, बिहार में सरकार ने कहा कि हम विकास का काम, सारी कंपनियों का पैसा बंद हो गया । पिक एण्ड चूज के आधार पर पैसा दिया जा रहा है। महोदय, अब बताइये कि इस सरकार में जितने लोगों ने काम किया, अगर आप उसका चेहरा देखकर पैसा दीजियेगा, होली का त्यौहार है, बिहार के न जाने कितने मजदूरों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी में, रोड की कंपनी में, सारी कंपनियों में उन लोगों ने काम किया, आपने पैसा रोक दिया, अब वह जो कंपनी है वह बिहार के लेबर को एक पैसा देने को तैयार नहीं है, इतना बड़ा पर्व ये बेचारे हमारे जो हैं, बेचारे शब्द से हमारे भाई को तकलीफ होती है इसलिए मैं वापस ले रहा हूँ तो मैं यह कह रहा हूँ कि जो हमारे बिहार के गरीब लोग हैं, उनका पेमेंट नहीं मिलेगा तो वे त्यौहार कैसे मना पायेंगे ? साथ में, राज्य वित्तीय कूप्रबंधन एक तरह से हमलोग मान रहे हैं कि मकड़जाल में फंस गया है, राजकोषीय घाटा 03 प्रतिशत होना चाहिए था, अब वह बढ़कर 09 प्रतिशत हो गया है, 11 प्रतिशत हो गया है, 25 प्रतिशत हो गया है, अब जो है 18 से 20 प्रतिशत रहने का अनुमान है । महोदय, राज्य सरकार कहती है कि खजानों पर गरीब, वंचितों का पहला हक है परंतु वास्तव में समाज के गरीब, वंचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, अक्लियत का आवंटन इस बजट में क्यों घटा दी गई, आप लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं लेकिन महोदय, आप देखियेगा कि अल्पसंख्यक, अक्लियत, ये जितने इनके पैसे थे, सब में इन्होंने बजट घटा दिया है । महोदय, अब आगे मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूर्व में किए गए वादों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वर्ष 2024 में दृढ़ता के साथ घोषणा किए थे कि प्रतिवर्ष दो करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे ।

...क्रमशः....

टर्न–14 / पुलकित / 23.02.2026

(क्रमशः)

श्री कुमार सर्वजीत : उस आधार पर बिहार में प्रतिवर्ष कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था और अब तक राज्य के लगभग ढाई करोड़ युवाओं को रोजगार प्राप्त हो जाना चाहिए था । महोदय, अब तक नहीं हुआ । महोदय, राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई कि आगामी 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा । इस लक्ष्य के अनुसार प्रतिवर्ष 20 लाख रोजगार सृजन होना चाहिए था, किंतु दुर्भाग्य है कि चालू वर्ष के बजट में रोजगार सृजन के संबंध में न तो कोई स्पष्ट दृष्टि दिखाई देती है, न कोई ठोस योजना, न कोई ठोस वित्तीय प्रावधान है ।

अध्यक्ष महोदय, 2025–26 का जो बजट था, वह लगभग 3 लाख 17 हजार करोड़, जिसमें 26–27 में बढ़कर 3 लाख 48 हजार करोड़ कर दिया गया । मतलब कि बजट की 31 हजार करोड़ की वृद्धि हुई ।

महोदय, बजट का आकार 31 हजार करोड़ बढ़ गया लेकिन राज्य का असली विकास अस्पताल, स्कूल, सड़क है । हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि हमने सड़क बना दी, अब हम कारखानों पर काम करेंगे । महोदय, हम जानना चाहते हैं 20 वर्ष से आपकी सरकार है, अस्पताल की हालत क्या है ? बिना पैरवी के कोई अस्पताल मरीज को एडमिट नहीं लेता है । कहीं रात को 12 बजे भी हम लोगों को टेलीफोन आता है कि आई0जी0आई0एम0एस0 में खड़े हैं, जगह नहीं है । हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने 52 हजार, 1 करोड़ लोगों का इलाज किया । यह तो बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर इस राज्य में मरीजों की संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है ? यह बड़ा गंभीर विषय है । सरकार को इसके लिए मंथन करना चाहिए कि आखिर बिहार में बड़े पैमाने पर बीमारी क्यों बढ़ रही है इतनी ।

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि वर्ष 2025–26 में कुल पूंजीगत व्यय 64 हजार 894 करोड़ 76 लाख रुपया अनुमानित था, जो कुल व्यय का 20.48 प्रतिशत था लेकिन 2026–27 में यह घटकर 63 हजार 455 करोड़ 94 लाख रुपया कर दिया गया जो अब कुल व्यय का मात्र 18 प्रतिशत रह गया ।

अध्यक्ष : कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, समय नहीं है । 13 करोड़ लोगों की बात थी अगर आपकी अनुमति होगी तो ठीक है नहीं तो इसको प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाए ।

अध्यक्ष : श्री नितेश कुमार सिंह ।

श्री नितेश कुमार सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ । साथ ही, मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का जिन्होंने सदन में सरकार के आय–व्यय के पक्ष में मुझे बोलने का अवसर दिया।

मैं सरकार की उस सोच को सैल्यूट करता हूँ क्योंकि यह सरकार मानती है कि किसी भी राज्य का, किसी भी देश का पूर्ण विकास तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं की भागीदारी बराबर की न हो । इस सरकार ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए चाहे वह साइकिल, पोशाक योजना हो या उनकी छात्रवृत्ति के लिए 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएशन हो । इतना ही नहीं, सरकार ने महिलाओं को नौकरी मिले इसके लिए सरकारी रोजगार में उन्होंने 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया । यह सरकार जानती है कि समाज का समुचित विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में उनकी पार्टिसिपेशन न हो । इस सरकार ने देश में, देश में यह सरकार पहला राज्य है जिसने पंचायती राज में 50 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया ।

सरकार ने इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए हमारी महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये स्टार्टअप सीट्स फंड्स ग्रांट के तौर पर दिये । क्योंकि यह सरकार जानती है कि जब महिलाएं उद्यमी बनेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो यह राज्य मजबूत होगा । जैसे कि एक किसान अपनी मुट्ठी में बीज लेकर खेतों में छिड़कता है, उसमें से 100 बीज में से 30 से 40 बीज अंकुरित होकर फसल बनते हैं, वैसे ही हमारी महिलाएं जब व्यापार करेंगी, आगे बढ़ेंगी, उनका व्यापार बड़ा होगा तो यह सरकार 2 लाख से 10 लाख तक सब्सिडाइज्ड रेट पर लोन देने का काम करेगी ।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर होगा ।

श्री नितेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं सिर्फ दो चीजें सिर्फ जोड़ना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : जोड़ दीजिए ।

श्री नितेश कुमार सिंह : इस सरकार ने हर क्षेत्र में कार्य किया है, मैं अपने कसबा क्षेत्र के लिए स्पेशली बोलना चाहता हूँ और एजुकेशन को लेकर बोलना चाहता हूँ। हमारे राज्य से तकरीबन 5 लाख स्टूडेंट बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए । हमें अगर बिहार को विकसित बनाना है, मजबूत बनाना है, तो ऐसे छात्रों को हमें होल्ड करना पड़ेगा । मैं एजुकेशन मिनिस्टर से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कसबा जैसे जगह में एक नॉलेज पार्क की व्यवस्था की जाए जहाँ स्टूडेंट के हित को देखते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस तरीके का कार्य हो और उन कॉलेजेस को बुलाना चाहिए जो बाहर बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं । मैं इतना ही नहीं, कसबा क्षेत्र में गयाजी के तौर पर ढाई हजार एकड़ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रस्ताव करता हूँ।

अगर सरकार हमारे युवा को बाहर पढ़ने जाने से रोकेगी, बाहर जाकर काम करने से रोकेगी, तब यह बिहार 2025 से 2030 के बीच मजबूत बिहार बनेगा, विकसित बिहार बनेगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा और इसी संकल्प के साथ यह सरकार कार्य कर रही है, मैं माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री साहब और हमारे उपमुख्यमंत्री साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ । पूर्णिया जैसे शहर जिसको काला पानी की सजा कहा जाता था, आज बिहार का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में से है । मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे शहर को एयरपोर्ट मिला, बुलेट ट्रेन भी अब वहां चलने वाली है, चारों तरफ एक्सप्रेस–वे है।

अध्यक्ष महोदय, एक रिक्वेस्ट भी है कि टूरिज्म को देखते हुए, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कई बार हमारी पॉलिसी में कुछ कमियां रह जाती हैं तो हम रिव्यू करें, हम लीकर पॉलिसी को एक बार फिर से रिव्यू करके इस राज्य को मजबूत करें । धन्यवाद ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : एक मिनट में अपनी बात रखिये ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को भी बोलने का मौका दिया जाए ।

अध्यक्ष : आपको भी बोलने का मौका मिल जाएगा । शांति बनाये रखिये ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इलेक्शन ड्रिवेन कुछ स्कीम सरकार लेकर आई। 10 हजार से लेकर 2 लाख तक, 125 फ्री यूनिट आपने बिजली देने की बात कही है, आपने पेंशन हाइक किया है । ये सारे जो स्कीम आप लाए, सरकार की माली हालत पहले से खराब थी और ये सारे स्कीम लाए कि एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर हुआ है, सरकार के ऊपर हुआ है । सर, हम देख पाते हैं कि जो आप 2 लाख रुपया पर महिला घर देने की बात कही है, आपने बजट में प्रोविजन मात्र 15 लाख लेकर किया है, पैसा सरकार के पास है नहीं। और पिछले तीन साल से लगातार सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रेवेन्यू आता था तो उसमें घाटा हुआ है । इस बार भी 3 हजार करोड़ सरकार ने रिलीज नहीं किया है, नहीं दिया है सर । आखिर यह सरकार कैसे चलेगी, मतलब खजाना कैसे चलेगा ?

मैं सरकार से कहना चाह रहा था कि सरकार क्यों नहीं ये जो लीकर पॉलिसी है उसको रिव्यू करे । शराब नीति का रिव्यू करे । उससे दो तीन चीजें हो सकती है । पहला ये जो सूखा नशा का जो उड़ता पंजाब बिहार बनता जा रहा है उसमें कमी आएगी और साथ ही, रेवेन्यू आपके पास में आयेगा । सरकार की यह लीकर पॉलिसी अगर हम रिव्यू करते हैं । साथ ही, इससे जो एक बड़ी बात होगी जो औद्योगिकीकरण की बात हम कर रहे हैं उसको यह बूस्ट अप

करेगा । मैं सरकार से सुझाव देता हूँ कि शराब नीतियों का रिव्यू किया जाए तो कम से कम हमारा जो फाइनेंसियल डेफिसिट हो रहा है एक वह होगा ।

दूसरा, प्रेस का है । अभी पत्रकार लोग हमको घेरे थे कि सरकार मानती नहीं है बात । बिहार में, झारखंड में हर जगह प्रेस क्लब बना हुआ है यहां सर थोड़ा सी व्यवस्था की जाए और प्रेस क्लब भी बनाया जाए । महोदय, सरकार शराब नीति को रिव्यू करे मैं यह चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री संदीप सौरभ जी । एक मिनट में अपनी बात रखिये ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, दो मुद्दे पर हम अपनी बात कहेंगे । एक तो सरकार जो बेल्ट्रॉन से कर्मियों को बहाल करके आउटसोर्सिंग एजेंसियों को दे रही है, उसमें बेल्ट्रॉन के तत्कालीन डायरेक्टर ने 2019 में सरकार को कहा कि इस प्रोसेस के चलते सरकारी खजाने से हर साल 50 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है । वह अब आंकड़ा बढ़ गया होगा । हम चाहेंगे कि सरकार इस पर विचार करे और बेल्ट्रॉन से जो कर्मी नियुक्त हो रहे हैं उसका पेमेंट डायरेक्ट सरकार अपने डिपार्टमेंट से दे । कुछ का पेमेंट दे रही है और कुछ का सरकार नहीं दे रही है ।

महोदय, एक दूसरा मुद्दा है कि अभी 2023 तक बिहार के जितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय थे, उसकी जो प्रथम और द्वितीय सावधिक परीक्षाएं थीं, उसकी आंसर कॉपी, उसका प्रश्न पत्र, आंसर कॉपी, ओ0एम0आर0 शीट, ये सब बिहार के जो पंजीकृत प्रेस थे, उनको यह काम मिलता था । 2023 में बिना किसी कारण के उस समय जो के0के0 पाठक जी थे, उन्होंने कहा कि यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कराएगी । जबकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कैलेंडर में उस सावधिक परीक्षा का जिक्र नहीं है और वह पूरा काम आज बिहार के बाहर की कंपनियां कर रही है, सिंगल कंपनियां कर रही है, गुजरात की कंपनी कर रही है । बिहार के सारे जिलों में जो प्रेस रजिस्टर्ड प्रेस हैं, वह बंद होने के कगार पर आ गए हैं और यह लघु सूक्ष्म उद्योग, बिहार सरकार जिसको बढ़ाने की बात कर रही है वह भारी संकट में जा रहा है । महोदय, पुरानी नीति पर सरकार वापस आ जाए, इस पर विचार करे । यह दो बात हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे।

अध्यक्ष : आपकी बात आ गयी । माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

टर्न–15 / हेमन्त / 23.02.2026

श्री अजय कुमार : महोदय, विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है और हम समझते हैं कि 3,48,000 करोड़ का बजट, उसको खर्च करने के लिए इस सदन से इजाजत मांग रहे हैं। महोदय, विनियोग विधेयक में जो आप मांग रहे हैं, तो सबसे पहले है कि

बिहार के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा और शिक्षा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही, मैं समझता हूं कि उन बसावटों में, जहां 1 कि.मी. से ज्यादा दूर बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, उनके बीच में विद्यालय खोला गया था, लेकिन सरकार ने बाद में फैसला लिया कि अगर उसके पास जमीन नहीं है, तो उसको हम बगल में मर्ज करेंगे। एक बड़ा सवाल है कि आप कई ग्रीन फील्ड का, जो रोड बनवा रहे हैं, तो उसके लिए जमीन खरीदते हैं। क्या बिहार में शिक्षा के लिए सरकार जमीन खरीद कर उन विद्यालयों को संचालित नहीं करेगी ? अगर नहीं करेगी, तब आपका विकास क्या होगा ? शिक्षा के क्षेत्र में तब विकास नहीं हो सकता है। दूसरी बात, हम कहना चाहते हैं आपसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी और काम करना बाकी है, लेकिन इस बात पर सभी सदन के सदस्य सहमत हैं। आप बड़ी–बड़ी अट्टालिका बना रहे हैं, यह सब बात सही है, लेकिन जरा सोचिए कि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, सभी विधायक के क्षेत्र से जब एक पेशेंट आता है, पटना और आई0जी0आई0एम0एस0 में, भर्ती होने के लिए जब उसको जगह नहीं मिलती, तब विधायक की क्या स्थिति होती है ? विधायक तब इधर–उधर खोजते हैं किसी मंत्री जी को या मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री जी को फोन करें और तब एक बेड मुहैया करा पाते हैं। हो भी पाता है, नहीं भी हो पाता है और जब नहीं हो पाता है, तब बिहार के वह गरीब लोग, जो यहां आते हैं इलाज कराने के लिए उनकी उम्मीद टूट जाती है।

सर, इसी सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में इस सदन में घोषणा की थी कि 6 हजार गांव ऐसे हैं जिसको सात निश्चय योजना से, जो पीने का पानी, नल जल से हमको कराना था, उन 6,000 गांवों में नहीं करा पाए। जब पानी की व्यवस्था आप 6 हजार गांवों में नहीं करा पाए और इस सदन में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि उसका टेंडर हम जल्दी करके करवा देंगे। पीने के पानी की व्यवस्था हम बिहार में नहीं करा पाते हैं, तो बिहार का विकास कैसे होगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी बात हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास तो सर्वे है, डेटा है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। बिहार में कितने लोग भूमिहीन हैं, जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। डी. बंदोपाध्याय आयोग ने उस समय कहा था कि 6,50,000 परिवार ऐसे हैं जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास 22 लाख एकड़ जमीन है, 6,50,000 ऐसे लोग हैं जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, क्या सरकार उस 22 लाख एकड़ जमीन पर, जो भू स्वामी कब्जा करके, सामंत जो बैठा हुआ है, उस जमीन को, उस भूमिहीन को कम से कम सिर छिपाने के लिए, एक आवास बनाने के लिए जमीन सरकार नहीं देती है, तो इस फंड का, यह आपका 3 लाख

48 हजार करोड़ रूपये का क्या होगा ? सर, आखिरी बात कह कर मैं बैठ जाऊंगा। मेरा आपसे यह कहना है कि बिहार के अंदर जो स्कीम वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर, कहने में हमें कोई गुरेज नहीं, कैसे सरकार काम ले रही है मिड डे मील वर्कर से ? 1650 रूपया महीना पर आप उससे काम ले रहे हैं। बिहार सरकार के सभी मंत्री बैठे हुए हैं, पूरी सरकार यहां है। बिहार का एक्ट क्या कहता है ? न्यूनतम मजदूरी क्या है ? क्या एक मजदूर को, जिससे हम काम ले रहे हैं, 8 घंटा मिड डे मील वर्कर काम करता है, स्कीम वर्कर सब काम करता है, उसको दैनिक मजदूरी के बराबर भी तो मजदूरी हम दे सकते हैं। सवाल इच्छा शक्ति का है। इसीलिए मेरा अंतिम तौर पर यह कहना है कि इस फंड का आप उपयोग वहां करें और अगर यह नहीं करते हैं, तब फिर इसकी इजाजत की क्या जरूरत है ?

अध्यक्ष : श्री सतीश कुमार सिंह यादव। आपका वक्त एक मिनट है।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने हमें बिहार विनियोग विधेयक, 2026 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, किसी भी राज्य के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो बहुत महत्त्वपूर्ण चीजें हैं। महोदय, हमने बात रखी थी कि विश्वविद्यालयों की संख्या कम है। हमारे यहां आरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा है, जिसमें चार जिलों के कॉलेज संचालित होते हैं। लगभग अंगीभूत और दोनों कॉलेज मिलाकर हमको लगता है 83 कॉलेज हैं। जिसके चलते स्नातक का सेशन लेट होता है। तो कम से कम दो जिलों को मिलाकर एक विश्वविद्यालय बनाया जाए, क्योंकि अभी फिर कॉलेजों की संख्या बढ़ने जा रही है, हर प्रखंड में कॉलेज खुलने जा रहे हैं। महोदय, दूसरी बात, हमारे एकमात्र रामगढ़ में ग्राम भारती कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। वहां बीबीए का कोर्स चल रहा था। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दो–दो बार एआईसीटी से मान्यता मिली और 60 सीटों के निर्धारण के लिए कुल सचिव, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टर के यहां चिट्ठी दी गयी। दो बार उनके द्वारा गया। हम खुद जाकर मिले और इसके लिए हमने कहा कि सीटों का निर्धारण कर दीजिए ताकि वहां बीबीए कोर्स चालू हो जाए। विश्वविद्यालय से मान्यता है, एआईसीटी से अप्रूवल है, लेकिन डायरेक्टर महोदय द्वारा लगातार कम से कम अगस्त में ही चिट्ठी आई, फिर दोबारा चिट्ठी गई। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा...

अध्यक्ष : श्री आलोक कुमार सिंह।

श्री आलोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विनियोग विधेयक, 2026 पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से पूर्ण समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष : श्री रोमित कुमार।

श्री रोमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं, लेकिन अपने क्षेत्र अतरी विधानसभा में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, गहलोर घाटी और दशरथ मांझी जी पर्वत पुरुष का वह क्षेत्र रहा है। उस क्षेत्र में पर्यटन के हिसाब से इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले और शिक्षा के क्षेत्र में एक महाविद्यालय दशरथ मांझी जी के नाम पर वहां बनाया जाए जिससे कि उनका नाम शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में विख्यात हो। यही मांग मैं अपने क्षेत्र के लिए करता हूं। धन्यवाद।

सरकार का उत्तर

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, वित्त विभाग।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, विभिन्न दल के लोगों ने अपनी जानकारी के अनुसार अपनी बात रखी। मैं सुन रहा था, विपक्ष का चुनाव में भी यही भाषण था और सदन में भी वही भाषण है, कोई अंतर नहीं है।

महोदय, दिनांक 2 फरवरी, 2026 को महामहिम राज्यपाल के संबोधन के साथ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ हुआ था। तदुपरान्त, 3 फरवरी, 2026 को राज्य सरकार की तरफ से 2026–27 का वार्षिक वित्तीय विवरण मैंने सदन के पटल पर रखा था, जिसमें आंकड़ों के साथ–साथ राज्य की प्राप्तियां, व्यय का लक्ष्य निहित था। सदन में माननीय सदस्यों द्वारा बजट 2026–27 पर सामान्य विचार–विमर्श के क्रम में अपने सुझाव सदन में व्यक्त किए, जिसे मेरे द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए सामान्य विचार–विमर्श के दौरान राज्य सरकार का उत्तर सदन के समक्ष रखा गया।

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2026–27 के वार्षिक आय–व्ययक के लिए अनुदान की मांगों पर वाद–विवाद एवं मतदान दिनांक 10.02.2026 से आरंभ होकर 20.02.2026 को समाप्त हो गया। अनुदानों की मांगों पर पक्ष–विपक्ष की ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, जिसके लिए मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बिहार का बजट आकार पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो वर्ष 2004–05 के 23,885 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2026–27 में 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ 76 लाख 16 हजार रुपए तक पहुंच गया है। यह वृद्धि राज्य की विकास, अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश करने की बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाती है। माननीय लोग चिंतित थे, खजाना खाली है।

अध्यक्ष महोदय, न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए, बिहार सरकार ने सात निश्चय–1, और सात निश्चय–2 के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

अब सात निश्चय–3 के संकल्प के साथ 2025 से 30 में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है।

महोदय, सात निश्चय के संकल्प दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, इससे राज्य के प्रति व्यक्ति की औसत आय को दुगना करना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगारपरक गतिविधियां संचालित करने हेतु सभी परिवारों की महिलाओं को 10,000 रूपये देना एवं इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रूपये तक की सहायता प्रदान करना, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर लाभुकों की कार्य क्षमता बढ़ाना, जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित करना इत्यादि शामिल हैं।

(क्रमशः)

टर्न–16 / संगीता / 23.02.2026

...क्रमशः...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वर्ष 2020 से 2025 तक युवाओं को 50 लाख से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार दिया जा चुका है । अगले 5 सालों में इसे दोगुना करते हुए 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है । इस हेतु बिहार अपने मानव शक्ति को इस भूमण्डलीय युग में आज की मांग के अनुरूप कुशल कामगार तैयार करने के प्रति कृतसंकल्पित है ।

महोदय, सात निश्चय के संकल्प–समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार के अंतर्गत बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केन्द्र बनाना, बिहार को विश्वस्तरीय कार्य स्थल के रूप में विकसित करना, बिहार के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली लोगों को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना एवं नये बड़े उद्योगों को लगाने के लिए मुफ्त जमीन एवं आकर्षक अनुदान देने की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य में पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू किया जाएगा तथा नयी चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी ।

महोदय, हमारी औद्योगिक नीति राज्य में अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य पर केन्द्रित है । सूक्ष्म और लघु उद्योगों पर विशेष जोर देते हुए वर्तमान सरकार द्वारा राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय का गठन

किया गया है। उद्यमियों के हित में राज्य में बिहार उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग का भी गठन किया गया है ।

डिफेन्स कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना करने के साथ–साथ बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमियों को स्टार्ट–अप एवं न्यू ऐज इकोनॉमी प्रक्षेत्र में रोजगार सृजन में सक्षम बनाने हेतु भी कार्य योजना बनायी जा रही है ।

महोदय, सात निश्चय के संकल्प– कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि के अंतर्गत अब किसानों की आय बढ़ाने, डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर एवं हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए चौथे कृषि रोडमैप वर्ष 2024–2029 के काम में और तेजी लाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है ।

महोदय, सात निश्चय के संकल्प– उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में, चर्चा कर रहे थे शिक्षा के मामले में, प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना, पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना एवं एक नये एजुकेशन सिटी का निर्माण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ।

महोदय, सात निश्चय संकल्प– सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन के अंतर्गत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करना, जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करना, नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई एवं ईलाज के लिए लोक–निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था करना एवं सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाने हेतु सरकार संकल्पित है ।

महोदय, जो शिकायतें आती हैं, सात निश्चय के संकल्प– मजबूत आधार–आधुनिक विस्तार के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, सुलभ संपर्कता का विस्तार, सुनिश्चित बिजली एवं सौर ऊर्जा, पर्यटन विकास समृद्ध बिहार, युवा शक्ति–खेल में प्रगति, अनुरक्षण एवं रख–रखाव आदि शामिल है, जिसे पूर्ण करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है ।

महोदय, सात निश्चय के संकल्प– सबका सम्मान–जीवन आसान के अंतर्गत बिहार सरकार वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर पर उपलब्ध कराएगी और संपत्ति के पंजीकरण की सुविधा भी घर पर प्रदान करेगी । साथ ही आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को सरल एवं सम्मानजनक बनायेगी ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले एक दशक में बिहार ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अपने विकास के आधार को सशक्त किया है । कृषि क्षेत्र में हमारा राज्य देश में अग्रणी है । वर्ष 2024–25 के अंतर्गत देश में बिहार राज्य का मखाना एवं लीची में प्रथम, मक्का उत्पादन में द्वितीय, शहद में चौथा, चावल उत्पादन में पांचवां और गेहूं उत्पादन में छठ्ठा स्थान रहा है । साथ ही, सब्जी एवं मक्का उत्पादन में भी राज्य शीर्ष उत्पादकों में शामिल है । इसके अतिरिक्त, सिंचाई क्षमता का विस्तार करते हुए प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 70.5 प्रतिशत तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 75.2 प्रतिशत भूमि को आच्छादित किया गया है ।

आधारभूत संरचना में बड़ा परिवर्तन हुआ है, राज्य अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय उच्च पथ के अन्य महत्वपूर्ण मेगा परियोजनाओं में दानापुर–बिहटा–कोईलवर प्रगति में है, आमस–दरभंगा ग्रीनफील्ड परियोजना प्रगति में है, मुंगेर–मिर्जा चौकी 4–लेन परियोजना प्रगति में है, दिघवारा–शेरपुर के बीच गंगा नदी पर 6–लेन पुल प्रगति में है । महात्मा गांधी सेतु के समानान्तर गंगा नदी पर 4–लेन पुल प्रगति में है । जे0पी0 सेतु के समानान्तर गंगा नदी पर 6–लेन पुल प्रगति में है । अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कच्ची दरगाह–बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के चरण–02 के अंतर्गत ''हाजीपुर–महनार पथ से चकसिकंदर'' एवं चरण–03 के अंतर्गत ''राघोपुर दियारा, वैशाली से हाजीपुर–महनार पथ'' का निर्माण कार्य प्रगति में है । भाग गए राघोपुर के माननीय, जे0पी0 गंगा पथ से पटना घाट संपर्कता का निर्माण कार्य प्रगति में है । मीठापुर से सिपारा एलिवेटेड पथ एवं सिपारा में रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति में है । जन निजी भागीदारी के अंतर्गत बख्तियारपुर–ताजपुर के बीच गंगा नदी पर पहुंच पथ के साथ–साथ 4–लेन पुल परियोजना (लंबाई 51 कि0मी0) का निर्माण कार्य प्रगति पर है । साथ ही, सात निश्चय–3 (वर्ष 2025–30) अंतर्गत सुलभ संपर्कता हेतु 05 नये एक्सप्रेस–वे का निर्माण किया जाना है ।

महोदय, ग्रामीण सड़कों की लंबाई वर्ष 2015–16 के 64 हजार 2 सौ 5 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2025–26 में 1 लाख 19 हजार किलोमीटर हो गई है, जिससे बिहार देश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाले राज्यों में शामिल हो गया है । ऊर्जा क्षेत्र में बिहार अभाव की स्थिति से निकलकर उपलब्धता की ओर बढ़ा है । अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 5 सौ मेगावाट रुफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है ।

महोदय, महिला सशक्तीकरण की दिशा में जीविका के तहत 11 लाख 45 हजार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ 40 लाख परिवार जुड़े हैं

और 91 लाख सदस्यों को बीमा कवरेज मिला है । ये सभी उपलब्धियां बिहार की सतत प्रगति को दर्शाती हैं और इस बजट के अंतर्गत समावेशी एवं टिकाऊ विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं । आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में 'जीविका' द्वारा कार्य किया जा रहा है । महिलाएं विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों को अपनाकर उद्यमी बन रही हैं ।

महोदय, राजकोषीय घाटा, चर्चा कर रहे थे राजकोषीय घाटा के लिए, राजकोषीय घाटा को नियंत्रित रखने में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्य निर्धारित किये हैं । वर्ष 2026–27 के बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.0 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है । कहां से आपको आंकड़े आ गए, भाषण दे रहे थे, वित्तीय वर्ष 2026–27 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13 लाख 9 हजार 1 सौ 55 करोड़ रुपये (13,09,155 करोड़ रुपये) अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2026–27 में राजकोषीय घाटा 39 हजार 1 सौ 11 करोड़ 80 लाख रुपये (39,111.80 करोड़ रुपये) अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत है ।

हमारी सरकार ने वित्तीय समेकन एवं अनुशासित वित्तीय ढांचा को सुदृढ़ करते हुए राजस्व बचत को वर्ष 2026–27 में 1 हजार 1 सौ 43 करोड़ 19 लाख रुपये (1,143.19 करोड़ रुपये) रखा गया है ।

वर्ष 2024–25 में कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9 लाख 91 हजार 9 सौ 97 करोड़ रुपये (9,91,997.00 करोड़ रुपये) का 37.72 प्रतिशत है । बेहतर ऋण प्रबंधन के द्वारा वर्ष 2026–27 के अंत में कुल बकाया ऋण 4 लाख 46 हजार 3 सौ 26 करोड़ 7 लाख रुपये (4,46,326.07 करोड़ रुपये) अनुमानित किया गया है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13 लाख 9 हजार 1 सौ 55 करोड़ रुपये (13,09,155 करोड़ रुपये) का 34.09 प्रतिशत होता है ।

महोदय, वर्ष 2024–25 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 9.00 प्रतिशत है जिसे वर्ष 2026–27 में कम करते हुए 8.89 प्रतिशत अनुमानित किया गया है । बिना जानकारी के ही माननीय सदस्य जो हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, वे दे रहे थे बड़ा लंबा–चौड़ा बयान ।

राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ एवं समावेशी बनाने के लिए वर्ष 2026–27 के कुल बजट का लगभग 66.53 प्रतिशत अर्थात 2 लाख 31 हजार 2 सौ 67 करोड़ 7 लाख रुपये (2,31,267.07 करोड़ रुपये) राशि विकासमूलक मदों में कर्णांकित किया गया है ।

...क्रमश...

टर्न–17 / यानपति / 23.02.2026

(क्रमशः)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, साथ ही आमजन के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए इस बजट में कुल 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ 76 लाख 16 हजार रुपये (3,47,589.7619 करोड़ रुपये) का व्यय अनुमानित है । सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए 39 हजार 377 करोड़ 6 लाख रुपये (39,377.07 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के विवरणी को सदन के पटल पर रख चुका हूं जिस पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है । बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 से कुल 3 लाख 53 हजार 45 करोड़ 15 लाख 49 हजार रुपये की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना है । विनियोजित राशि में 3 लाख 2 हजार 2 सौ 42 करोड़ 13 लाख 31 हजार रुपये मतदेय एवं 50 हजार 8 सौ 3 करोड़ 2 लाख 18 हजार रुपये भारित है । बिना जानकारी के बोलते हैं, विरोधी का काम ही है ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 के कुल 3 लाख 53 हजार 45 करोड़ 15 लाख 49 हजार रुपये की समेकित निधि में राजस्व व्यय कुल 2 लाख 88 हजार 733 करोड़ 93 लाख 45 हजार रुपये एवं पूंजीगत व्यय 64 हजार 311 करोड़ 22 लाख 4 हजार रुपये हैं ।

महोदय, सदन से अनुरोध है कि आय–व्ययक 2026–27 से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इसे ध्वनिमत से पारित किया जाय ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे ।

महोदय, एक मिनट । विधायक फंड बढ़ाने में सबलोग एक थे और अभी इसका विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, पैसे कहां से आयेंगे । इसीलिए बोली कुछ, आचरण कुछ, काम कुछ, व्यवहार कुछ और संपूर्ण चुनाव में आप यही भाषण देकर के कि खजाना खाली हो जायेगा, 10 हजार रुपया देकर वोट खरीदा जा रहा है, जब आप भ्रम में 25 पर आ गए तब भी तो शांत रहिए । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

मैं अपने वक्तव्य को सदन पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : ठीक है।

(माननीय मंत्री, वित्त विभाग का वक्तव्य–परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–23 फरवरी, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–49 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक–24 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 02 फरवरी, 2026 को महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन के साथ बिहार विधान मंडल का बजट सत्र प्रारंभ हुआ था। तदोपरांत दिनांक 03 फरवरी 2026 को राज्य सरकार की तरफ से वर्ष 2026–27 का वार्षिक वित्तीय विवरण मैंने सदन के पटल पर रखा था, जिसमें आंकड़ों के साथ राज्य की प्राप्तियाँ एवं व्यय का लक्ष्य निहित था। सदन में माननीय सदस्यों द्वारा बजट 2026–27 पर सामान्य विचार–विमर्श के क्रम में अपने सुझाव सदन में व्यक्त किये जिसे मेरे द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए सामान्य विचार–विमर्श के दौरान सरकार का उत्तर सदन के समक्ष रखा गया।

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2026–27 के वार्षिक आय–व्ययक के लिए अनुदानों की मांगों पर वाद–विवाद एवं मतदान दिनांक 10.02.2026 से आरंभ होकर दिनांक 20.02.2026 को समाप्त हो गया। अनुदानों की मांगों पर पक्ष–विपक्ष की ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये, जिसके लिए मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार का बजट आकार पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो वर्ष 2004–05 के 23 हजार 8 सौ 85 करोड़ रुपये (23,885 करोड़ रुपये) से बढ़कर वर्ष 2026–27 में 3 लाख 47 हजार 5 सौ 89 करोड़ 76 लाख 16 हजार रुपये (3,47,589.7616 करोड़ रुपये) तक पहुँच गया है। यह वृद्धि राज्य

की विकास, अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश करने की बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाती है।

अध्यक्ष महोदय, न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए बिहार सरकार ने सात निश्चय–1 और सात निश्चय–2 के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। अब **सात निश्चय–3 (वर्ष 2025–2030)** के संकल्प के साथ बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है।

महोदय, सात निश्चय के संकल्प– **दोगुना रोजगार–दोगुनी आय** है, इसमें राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगारपरक गतिविधियाँ संचालित करने हेतु सभी परिवारों की महिलाओं को 10 हजार रुपये देना एवं इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करना, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर लाभुकों की कार्य दक्षता बढ़ाना, जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित करना इत्यादि शामिल है।

महोदय, वर्ष 2020 से 2025 तक युवाओं को 50 लाख से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार दिया जा चुका है। अगले 5 सालों में इसे दोगुना करते हुए 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। इस हेतु बिहार अपने मानव शक्ति को इस

भूमण्डलीय युग में आज की माँग के अनुरूप कुशल कामगार तैयार करने के प्रति कृतसंकल्प है।

महोदय, सात निश्चय के संकल्प– **समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार** के अन्तर्गत बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केन्द्र बनाना, बिहार को विश्वस्तरीय कार्य स्थल (Work Place) के रूप में विकसित करना, बिहार के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना एवं नये बड़े उद्योगों को लगाने के लिए मुफ्त जमीन एवं आकर्षक अनुदान देने की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य में पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू किया जायेगा तथा नयी चीनी मिलों की स्थापना की जायेगी।

महोदय, हमारी औद्योगिक नीति राज्य में अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य पर केन्द्रित है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों पर विशेष जोर देते हुए वर्त्तमान सरकार द्वारा राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय का गठन किया गया है। उद्यमियों के हित में राज्य में बिहार उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग का भी गठन किया गया है।

डिफेन्स कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना करने के साथ–साथ बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमियों को स्टार्ट–अप

एवं अन्य न्यू ऐज इकोनॉमी प्रक्षेत्र में रोजगार सृजन में सक्षम बनाने हेतु भी कार्य योजना बनायी जा रही है।

महोदय, सात निश्चय के संकल्प– **कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि** के अन्तर्गत अब किसानों की आय बढ़ाने, डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर एवं हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के लिए चौथे कृषि रोडमैप वर्ष 2024–2029 के काम में और तेजी लाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है।

महोदय, सात निश्चय के संकल्प– **उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य** के अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना, पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना एवं एक नये एजुकेशन सिटी का निर्माण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

महोदय, सात निश्चय के संकल्प– **सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन** के अन्तर्गत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करना, जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करना, नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई एवं ईलाज के लिए लोक–निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था करना एवं सरकारी चिकित्सकों की

निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाने हेतु सरकार संकल्पित है।

महोदय, सात निश्चय के संकल्प– **मजबूत आधार–आधुनिक विस्तार** के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, सुलभ संपर्कता का विस्तार, सुनिश्चित बिजली एवं सौर ऊर्जा, पर्यटन विकास समृद्ध बिहार, युवा शक्ति–खेल में प्रगति, अनुरक्षण एवं रख–रखाव आदि शामिल है, जिसे पूर्ण करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है।

महोदय, सात निश्चय के संकल्प– **सबका सम्मान–जीवन आसान** के अन्तर्गत बिहार सरकार वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ उनके घर पर उपलब्ध कराएगी और संपत्ति पंजीकरण की सुविधा भी घर पर ही प्रदान करेगी, साथ ही आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को सरल एवं सम्मानजनक बनायेगी।

अध्यक्ष महोदय, पिछले एक दशक में बिहार ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अपने विकास के आधार को सशक्त किया है। कृषि क्षेत्र में हमारा राज्य देश में अग्रणी है। वर्ष 2024–2025 अन्तर्गत देश में बिहार राज्य का मखाना एवं लीची में प्रथम, मक्का उत्पादन में द्वितीय, शहद में चौथा, चावल उत्पादन में पाँचवा और गेहूँ उत्पादन में छठ्ठा स्थान रहा है। साथ ही, सब्जी एवं मक्का उत्पादन में भी राज्य शीर्ष उत्पादकों में शामिल है। इसके अतिरिक्त, सिंचाई क्षमता का विस्तार करते हुए प्रमुख एवं

मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 70.5 प्रतिशत तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 75.2 प्रतिशत भूमि को आच्छादित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आधारभूत संरचना में बड़ा परिवर्तन हुआ है, राज्य अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय उच्च पथ के अन्य महत्वपूर्ण मेगा परियोजनाओं में दानापुर–बिहटा–कोईलवर प्रगति में है, आमस–दरभंगा ग्रीनफील्ड परियोजना प्रगति में है, मुंगेर–मिर्जा चौकी 4–लेन परियोजना प्रगति में है, दिघवारा–शेरपुर के बीच गंगा नदी पर 6–लेन पुल प्रगति में है। महात्मा गाँधी सेतु के समानान्तर गंगा नदी पर 4–लेन पुल प्रगति में है। जे०पी० सेतु के समानान्तर गंगा नदी पर 6–लेन पुल प्रगति में है। अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कच्ची दरगाह– बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के चरण–02 के अंतर्गत "हाजीपुर–महनार पथ से चकसिकंदर" एवं चरण–03 के अंर्तगत "राघोपुर दियारा, वैशाली से हाजीपुर–महनार पथ" का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जे०पी० गंगा पथ से पटना घाट संपर्कता (पटना साहिब रेलवे स्टेशन तक) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मीठापुर से सिपारा एलिवेटेड पथ एवं सिपारा में रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जन निजी भागीदारी अन्तर्गत बख्तियारपुर–ताजपुर के बीच गंगा नदी पर पहुँच पथ के साथ 4–लेन पुल परियोजना (लंबाई 51 कि.मी.) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही, सात निश्चय–3 (वर्ष

2025–30) अन्तर्गत सुलभ सम्पर्कता हेतु 05 नये एक्सप्रेस–वे का निर्माण किया जाना है।

महोदय, ग्रामीण सड़कों की लंबाई वर्ष 2015–16 के 64 हजार 2 सौ 5 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2025–26 में 1 लाख 19 हजार किलोमीटर हो गई है, जिससे बिहार देश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाले राज्यों में शामिल हो गया है। ऊर्जा क्षेत्र में बिहार अभाव की स्थिति से निकलकर उपलब्धता की ओर बढ़ा है। अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 5 सौ मेगावाट रुफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है।

महोदय, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जीविका के तहत 11 लाख 45 हजार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ 40 लाख परिवार जुड़े हैं और 91 लाख सदस्यों को बीमा कवरेज मिला है। ये सभी उपलब्धियाँ बिहार की सतत प्रगति को दर्शाती हैं और इस बजट के अंतर्गत समावेशी एवं टिकाऊ विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं। आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में 'जीविका' द्वारा कार्य किया जा रहा है। महिलाएँ विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों को अपनाकर उद्यमी बन रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। वर्ष 2026–27 के बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.0 प्रतिशत तक

सीमित रखने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2026–27 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13 लाख 9 हजार 1 सौ 55 करोड़ रुपये (13,09,155 करोड़ रुपये) अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में राजकोषीय घाटा 39 हजार 1 सौ 11 करोड़ 80 लाख रुपये (39,111.80 करोड़ रुपये) अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वित्तीय समेकन एवं अनुशासित वित्तीय ढांचा को सुदृढ़ करते हुए राजस्व बचत को वर्ष 2026–27 में 1 हजार 1 सौ 43 करोड़ 19 लाख रुपये (1,143.19 करोड़ रुपये) रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024–25 में कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9 लाख 91 हजार 9 सौ 97 करोड़ रुपये (9,91,997.00 करोड़ रुपये) का 37.72 प्रतिशत है। बेहतर ऋण प्रबंधन के द्वारा वर्ष 2026–27 के अन्त में कुल बकाया ऋण 4 लाख 46 हजार 3 सौ 26 करोड़ 7 लाख रुपये (4,46,326.07 करोड़ रुपये) अनुमानित किया गया है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13 लाख 9 हजार 1 सौ 55 करोड़ रुपये (13,09,155 करोड़ रुपये) का 34.09 प्रतिशत होता है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024–25 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 9.00 प्रतिशत है जिसे वर्ष 2026–27 में कम करते हुए 8.89 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ एवं समावेशी बनाने के लिए वर्ष 2026–27 के कुल बजट का लगभग 66.53 प्रतिशत अर्थात 2 लाख 31 हजार 2 सौ 67 करोड़ 7 लाख रुपये (2,31,267.07 करोड़ रुपये) राशि विकासमूलक मदों में कर्णांकित किया गया है। साथ ही, आम जन के कल्याण एवं सुख–समृद्धि के लिए इस बजट में कुल 3 लाख 47 हजार 5 सौ 89 करोड़ 76 लाख 16 हजार रुपये (3,47,589.7619 करोड़ रुपये) का व्यय अनुमानित है। सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए 39 हजार 3 सौ 77 करोड़ 6 लाख रुपये (39,377.07 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के विवरणी को सदन के पटल पर रख चुका हूँ जिसपर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 से कुल 3 लाख 53 हजार 45 करोड़ 15 लाख 49 हजार रुपये (3,53,045.1549 करोड़ रुपये) की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना है। विनियोजित राशि में 3 लाख 2 हजार 2 सौ 42 करोड़ 13 लाख 31 हजार रुपये (3,02,242.1331 करोड़ रुपये) मतदेय (Voted) एवं 50 हजार 8 सौ 3 करोड़ 2 लाख 18 हजार रुपये (50,803.0218 करोड़ रुपये) भारित (Charged) है।

अध्यक्ष महोदय, बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 के कुल 3 लाख 53 हजार 45 करोड़ 15 लाख 49 हजार रुपये (3,53,045.1549 करोड़ रुपये) की समेकित निधि में राजस्व व्यय 2 लाख 88 हजार 7 सौ 33 करोड़ 93 लाख 45 हजार रुपये (2,88,733.9345 करोड़ रुपये) एवं पूंजीगत व्यय 64 हजार 3 सौ 11 करोड़ 22 लाख 4 हजार रुपये (64,311.2204 करोड़ रुपये) है।

महोदय, सदन से अनुरोध है कि आय–व्ययक 2026–27 से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इसे ध्वनिमत से पारित किया जाय ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे।

जय हिन्द, जय बिहार।

****